अक्टूबर 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

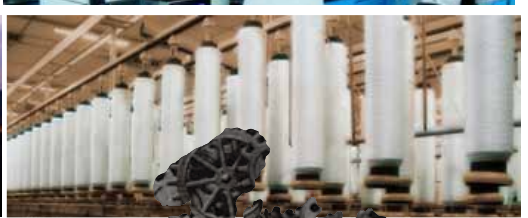

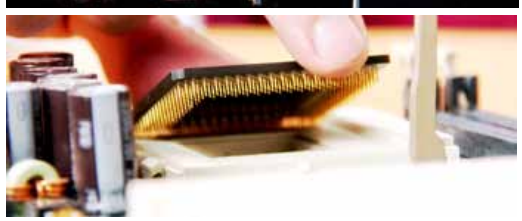

इस अंक में

विशेष लेख : मध्यप्रदेश में निवेश की चमकीली संभावनाएँ 3
दृश्य-परिदृश्य : औद्योगिक आकाश को छूने की तैयारी 7
लेख : ग्लोबल समिट की अवधारणा 17
आलेख : मेक इन इंडिया के सपने को साकार करता मध्यप्रदेश 21
आयोजन : मध्यप्रदेश बनेगा देश का आदर्श राज्य 27
खास खबरें : प्रदेश में बीस औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा रहा है अधोसंरचना विकास 30
सम्मान : अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को 'इन्सेंटिव अवॉर्ड' 34
खास खबरें : आगामी दो वर्षों में कोई भी गाँव नहीं रहेगा सड़क विहीन 35
पंचायत गजट : चौदहवें वित्त आयोग अन्तर्गत परफॉरमेंस ... 36
चिट्ठी-चर्चा 48

आयुक्त की कलम से...

" ‘oH$ BZ ‘ ¶ Xoe' H$mo d $n XmZ H$aoJr ½b

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश अब तेजी से विकसित होता प्रदेश है। पिछले कई वर्षों में प्रदेश ने विकास की अभूतपूर्व उड़ान भरी है। प्रदेश की विकास दर लगातार दहाई अंकों में है। कृषि विकास ने निरन्तर चार बार कृषि कर्मण अवॉर्ड जीतकर कृषि कार्य की सफलता को स्थापित किया है।

आर्थिक समृद्धि की चमक को हासिल करने और विभिन्न संभावनाओं को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश ने व्यापक औद्योगिक नीति बनाई है। यह नीति उद्योग मित्र होने के साथ प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक साधनों और उनके उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम है।

मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाने का धरातलीय प्रयास है आगामी 22-23 अक्टूबर को इन्दौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। निश्चित ही विकास की दृष्टि से यह आयोजन एक विशेष अवसर है इसीलिए मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 पर केन्द्रित है।

‘मेक इन मध्यप्रदेश’ कल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में होने वाले इस आयोजन में जहाँ देश-दुनिया के उद्योग जगत की हस्तियाँ शिरकत करेंगी वहीं हमारे किसानों के हित की बातें भी होंगी। प्रदेश की उद्योग नीति की विशेषता है कि वह कृषि और उद्योग तथा नगर और ग्राम के समान विकास पर आधारित है जिसका सकारात्मक पक्ष है कि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कृषि और उद्योग का संतुलन ही मध्यप्रदेश की विशेषता है क्योंकि यहाँ लगभग 70 प्रतिशत कृषक हैं। प्रदेश में स्मार्ट ग्राम बनाने का क्रम गति पर है। कृषि की अतिरिक्त आय का पूँजी निवेश स्थानीय कुटीर उद्योग और स्टार्टअप में हो इसीलिए स्टार्टअप नीति बनायी है। मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण के बढ़ते कदमों में प्रकृति केन्द्र में है। इन्दौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 9 फोकस सेक्टरों यथा एग्री बिजनेस एण्ड फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एण्ड हैण्डलूम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग, टूरिज्म, डिफेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, आई/आईटीईएस तथा ईएसडीएम, अर्बन डेवलपमेंट में एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग क्रम में नंबर एक पर है।

प्रदेश के औद्योगीकरण का बुनियादी तत्व है उद्योगों की बढ़त के साथ कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी क्षेत्र का आधार प्राप्त हो। यह समायोजन प्रदेश के औद्योगीक विकास की विशेषता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक आकाश को छूने की तैयारी में पहले जमीनी हकीकत के आधार पर संरचना खड़ी की फिर देश-विदेश की यात्रा, परस्पर संवाद कर प्रदेश की विशेषता, संभावनाओं, रीति और नीति से परिचित कराया। समुचित प्रयासों का परिणामगत समागम इंदौर ग्लोबल इन्वेसटर्स समिट में होने वाला है।

अपेक्षा है कि इंदौर में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए की जाने वाली तैयारी, नीति-नियम, दृश्य-परिदृश्य, प्रयास और अपेक्षित परिणामों पर केन्द्रित यह अंक आपको निश्चित ही पसंद आयेगा और जानकारीप्रद भी होगा।

हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा...

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

‘ ¶ Xoe H$s Am{W©H$ Am¡a Am¡ mo{JH$ amOYmZr B§Xm¡a ‘| 22–23 A³Qy>~a H$mo hmoZo dmbr ½bmo~b B do Q>g© g{‘Q> H$s Amoa Xoe hr Zht, nyao Xoe H$s {ZJmh| bJr hþB© h & ‘ ¶ Xoe ‘|

½bmo~b B do Q>g© g{‘Q> 2016

मध्यप्रदेश में निवेश की चमकीली संभावनाएँ

मध्यप्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर में 22-23 अक्टूबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ओर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस समिट से मध्यप्रदेश में छोटे उद्योगों के साथ-साथ मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए देशी निवेश ही नहीं, दुनिया के कोने-कोने से विदेशी निवेश आने की संभावना उभरकर दिखाई दे रही है।

इस समिट की कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण बना रही हैं। समिट में देश और दुनिया की लगभग तीन हजार उद्योग-कारोबार से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इनमें से करीब 500 प्रतिभागी विदेशों से शामिल होंगे। निःसंदेह निवेश के क्षेत्र में देश का नम्बर एक प्रदेश बनाने की चाहत रखते हुए इस समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश-विदेश में प्रभावी रोड शो आयोजित किए हैं।

उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण के नए दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की दिशा और दशा अब सरकार के अलावा खुले बाजार में तय होने लगी है। यदि हम देश और दुनिया के विभिन्न प्रदेशों में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की ओर देखें तो पाते हैं कि उन देशों और प्रदेशों में देशी-विदेशी निवेश छलांगें लगाकर बढ़ता है, जहाँ निवेशकों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई दिखाई दे और उद्योग स्थापना की अच्छी संभावना के साथ बुनियादी ढांचा विकसित होने की संभावनाएँ दिखाई दें।

ऐसे में निवेश के विभिन्न आधारों पर मध्यप्रदेश निवेश की चमकीली संभावनाओं वाला प्रदेश दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूरी संभावनाएँ हैं। निश्चित रूप से मध्यप्रदेश फैला हुआ है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - 2016

- जीआईएस-2016 का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इन्दौर में किया जाना है।
- नेशनल पार्टनर - सीआईआई
- नॉलेज पार्टनर - ई एण्ड वाय
- जीआईएस-2016 में देश-विदेश से 3000 प्रतिभागी अपेक्षित।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की संख्या	: 500
प्रदेश के प्रतिभागियों की संख्या	: 1000
देश के अन्य प्रांतों से प्रतिभागियों की संख्या	: 1500

भौगोलिक दृष्टि से यह देश में केन्द्रीय स्थान रखता है। मध्यप्रदेश जहाँ भारत के केन्द्र में स्थित है। वहीं देशभर के सभी प्रमुख बाजारों और प्रथम स्तरीय शहरों के करीब भी है। मध्यप्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी है। इसके तहत 99403 किलोमीटर की मजबूत सड़क का नेटवर्क है जो राज्य को एक आदर्श केंद्रीकृत विनिर्माण और वितरण का केन्द्र बनाता है।

फोकस सेक्टर्स

- एग्री बिजनेस एण्ड फूड प्रोसेसिंग
- टेक्सटाइल्स एण्ड हैण्डलूम
- फार्मास्यूटिकल्स
- ऑटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग
- टूरिज्म
- डिफेन्स
- रिन्यूएबल एनर्जी
- आई/आईटीईएस तथा ईएसडीएम
- अर्बन डेवलपमेंट

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त बैंकिंग सुविधा, चौबीसों घंटे बिजली, शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश में उद्योगों को प्राकृतिक संसाधनों से बल मिलता है। चूना पत्थर, सोया, सूत, कच्चा लोहा आदि के रूप में इस राज्य को भारी मात्रा में प्रकृति का वरदान मिला है। कपड़ा, सीमेंट, स्टील, सोया प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्रों में यहां उद्योगों को मजबूत आधार मिला है। मध्यप्रदेश में लौह अयस्क, हीरा, तांबा अयस्क, मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला और संगमरमर, ग्रेनाइट जैसी समृद्ध खनिज संपदा है। मध्यप्रदेश में कोयला और कोयला बेड मीथेन जैसे दुर्लभ ईंधन संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत के कोयला भंडार का 14 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है। एशिया का सबसे घना कोयला संस्तर सीधी जिले में स्थित है। मध्यप्रदेश में 144 बीसीएम कोल बेड मीथेन भंडार पाया गया है। प्रदेश में चूना पत्थर के बड़े भंडार हैं, जो निर्माण का बुनियादी कच्चा माल है। भारत के कुल वनों में से 12 प्रतिशत मध्यप्रदेश में हैं। मध्यप्रदेश के 30 प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर औषधीय तथा हर्बल पौधों की प्रजातियाँ हैं।

यह स्पष्ट है कि अब मध्यप्रदेश ने बीमारू राज्य से हटकर देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए विकासशील राज्य के रूप में पहचान बनाई है। कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग दोगुना है। पिछले दस वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश की विकास दर डबल डिजिट में बनी हुई है। जहाँ मध्यप्रदेश में 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय

नीतियां बनाई हैं और एकल खिड़की सचिवालय, मध्यप्रदेश ट्रायफेक का निर्माण किया है। औद्योगिक संवर्धन नीति के तहत 10 साल तक के लिए मूल्ययोजित कर (वैट) की वापसी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक उपलब्ध है। प्रदेशों में स्थापित नए उद्योगों के लिए 9 साल तक प्रवेश कर में छूट तथा सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए स्थाई पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी है। विशाल परियोजनाओं के लिए भूमि सब्सिडी 75 प्रतिशत (प्रीमियम पर) है। सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए चालीस हजार अमरीकी डॉलर की सीमा के साथ 7 साल की अवधि के लिए पाँच प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक पार्क की स्थापना की बुनियादी सुविधाओं की विकास लागत पर 15 प्रतिशत की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इसी प्रकार 4 अरब अमरीकी डॉलर अथवा इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का एक विशेष पैकेज है। 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के अनुकूलित पैकेज का भी प्रावधान है। मध्यप्रदेश में वस्त्र उद्योग के लिए अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं। नई कपड़ा इकाइयों को दो लाख डॉलर तक पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत की निवेश सब्सिडी दी जाएगी। 20 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की अचल पूंजी निवेश वाली नई इकाइयों को 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश कर छूट दी जाएगी। एक मिलियन अमरीकी डॉलर तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए पचास हजार अमरीकी डॉलर तक के निवेश के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के लिए रोड शो जैसे कई सार्थक कदम उठाए हैं। 28 अगस्त से 1 सितम्बर, 2016 तक श्री चौहान ने अमेरिका के निवेशकों तथा 25 से 27

- **मध्यप्रदेश में बेहतरीन केक्टिविटी है। इसके तहत 99403 किलोमीटर की मजबूत सड़कों का नेटवर्क है।**
- **उद्योगों के लिए उपयुक्त भूमि, उपयुक्त बैंकिंग सुविधा, चौबीसों घंटे बिजली, शांतिपूर्ण औद्योगिक वातावरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।**
- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग दो गुना है।**
- **विगत दस वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश की विकास दर डबल डिजिट में बनी हुई है।**
- **छोटे, मध्यम और कुटीर उद्यमों के विकास के लिए राज्य सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है।**
- **औद्योगिक निवेश की सुविधा के लिए 231 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, 19 विकास केन्द्र, चार अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं।**

सितम्बर 2016 तक इंग्लैंड के निवेशकों को मध्यप्रदेश में 22 एवं 23 अक्टूबर को होने वाली दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आकर्षित करने के मद्देनजर प्रभावी रोड शो किए। रोड शो के दौरान 'इन्वेस्ट एमपी' थीम पर अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनियों और उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश पर आकर्षक रियायतों व विकास की संभावनाओं की जानकारी देकर आमंत्रित

किया गया। अमेरिका की कई नामी कंपनियों-फाइजर, कोकाकोला, जाइलम, मास्टरकार्ड आदि ने प्रदेश में निवेश को लेकर गहरी रुचि बताई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन जैसे विभिन्न देशों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए मध्यप्रदेश के रोड शो से प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए सार्थक परिणाम आए हैं। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य प्रयासों से मध्यप्रदेश में देशी-विदेशी निवेश आकर्षित करने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं।

लेकिन फिर भी अभी मध्यप्रदेश विदेशी निवेश आकर्षित करने के मद्देनजर कुछ पीछे है। आर्थिक शोध संस्थान काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) के द्वारा 8 मार्च, 2016 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख 10 राज्यों में मध्यप्रदेश शामिल नहीं है। ऐसे परिदृश्य के मद्देनजर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मध्यप्रदेश में देशी-विदेशी निवेश बढ़ाने और 'मेक इन मध्यप्रदेश' का नारा सार्थक करने के लिए प्रदेश को अपने संसाधनों के अच्छी तरह उपयोग करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। प्रदेश में एफडीआई को आकर्षित करने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण आधारों का विदेशों में पूरा प्रचार-प्रसार किया जाना होगा। विदेशों में यह प्रचारित किया जाना होगा कि मध्यप्रदेश बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के कारण चमकीला बाजार बन गया है। सरकार को वैश्विक पटल पर मध्यप्रदेश से संबंधित निर्यात उत्पाद और सेवाओं को चिन्हित करना होगा।

ऐसा उपयुक्त ढाँचा तैयार करना होगा जिसके तहत एक ओर विदेशी निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने के कदम तेजी से आगे बढ़ें वहीं दूसरी ओर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पिछले शेष प्रस्तावों को गतिशील करके जमीन पर आकार देने के लिए विशेष प्रयास भी किए जाने होंगे। ऐसी रणनीति पर काम करना होगा, जिसके तहत कारोबार की मुश्किलें कम हों। प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता, दूरसंचार और परिवहन की उपयुक्तता का कारगर क्रियान्वयन जरूरी होगा। राज्य स्तर पर सरल श्रम कानून, भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। प्रदेश में नई औद्योगिक-व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप उपयुक्त तकनीकी योग्यता वाले युवा शिक्षित-प्रशिक्षित करने होंगे। शैक्षणिक प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्ट तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। प्रदेश में विदेशी निवेश की नई संभावनाओं के मद्देनजर जापानी, कोरियाई, रशियन जैसी भाषाओं के नए पाठ्यक्रम औद्योगिक शहरों के समीपस्थ विश्वविद्यालयों में शुरू किए जाने होंगे।

हम आशा करें कि इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लक्ष्य के अनुरूप सफल होगी। हम आशा करें कि इस समिट से मध्यप्रदेश में देशी और विदेशी निवेश के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी के आने से प्रदेश के लोग लाभांवित होंगे। साथ ही इस समिट के प्रस्तावों के क्रियान्वयन से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

● **डॉ. जयंतीलाल भंडारी**
लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं

औद्योगिक आकाश को छूने की तैयारी

औद्योगिक क्षितिज की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर काम हुआ है। एक तरफ जहां निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा गया है वहीं मध्यप्रदेश में इस बात के लिए सर्वे हुआ है कि वहां की जरूरतें कैसी हैं, कच्चा माल कैसा है और किस उद्योग के लिए कहां कुशल और अकुशल कारीगर मिल सकते हैं। इसकी बाकायदा सूची तैयार की और उसी आधार पर क्षेत्रीय क्लस्टर तैयार हुए। भूमि का चयन हुआ और इतनी तैयारी करने के बाद श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योग जगत को आमंत्रित करने के लिए यात्राएं आरंभ कीं।

देश के विकसित प्रांतों की अग्रिम पंक्ति में अपना पहला स्थान बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने अब औद्योगिक क्षितिज को छूने की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले तीन सालों में मध्यप्रदेश की ऐसी तस्वीर बने जो अपने उत्पादों से न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कीमतों और गुणवत्ता दोनों में मुकाबला कर सके। इसकी शुरुआत हालांकि प्रदेश में अब तक संपन्न हुए निवेशकों के विभिन्न समागमों में हो गई थी लेकिन एक मुकम्मल झलक इस बार इंदौर में देखने को मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 'इन्वेस्टर्स मीट' इस महीने 22-23 अक्टूबर को इंदौर में होने वाली है। इसके लिए देश और विदेश दोनों के प्रमुख निवेशक आने वाले हैं। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सरकार ने पूरे साल अभियान चलाया और स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई आठ यात्राएं देश और विदेश में कीं। वे बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रदेश के एक सी.ई.ओ की तरह, एक प्रथम सेवक की भांति विभिन्न स्थानों पर गए। एक तरफ उन्होंने जहां दिल्ली, मुंबई, बैंगलूरू, हैदराबाद आदि महानगरों में जाकर उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित किया वहीं सिंगापुर, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में जाकर बाकायदा उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई इन तमाम यात्राओं के पीछे प्रदेश की वह जरूरत है जो उन्होंने आने वाले वक्त के लिए आंकी है। एक जमाना कभी रहा था जब प्रदेश की गणना बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन अब कलंक धुल गया है और मध्यप्रदेश विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाइयां छू रहा है। यद्यपि इन बारह वर्षों में प्रदेश में चहुंमुखी विकास हुआ है। हरेक क्षेत्र में अपनी पहचान बनी है फिर भी ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें मध्यप्रदेश देश भर में अग्रणी माना जाने लगा। इसमें कृषि उत्पाद और शैक्षणिक गुणवत्ता है। एक तरफ जहां मध्यप्रदेश ने लगातार चौथे साल कृषि कर्मण अवार्ड जीता है वहीं प्रतिवर्ष लाखों नौजवान उच्च शिक्षा लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पाद एवं नौजवानों के कौशल का सदुपयोग करने की बेहद जरूरत इसीलिए जो औद्योगिक क्रांति

पार्टनर देश

समिट में वैश्विक सहभागिता के दृष्टिगत विभिन्न देशों के राजदूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, यूके तथा सिंगापुर द्वारा पार्टनर कन्ट्री के रूप में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान की गई।

के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का अभियान छेड़ा।

औद्योगिक क्षितिज की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर काम हुआ है। एक तरफ जहां निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा गया है वहीं मध्यप्रदेश में इस बात के लिए सर्वे हुआ है कि वहां की जरूरतें कैसी हैं, कच्चा माल कैसा है और किस उद्योग के लिए कहां कुशल और अकुशल कारीगर मिल सकते हैं। इसकी बाकायदा सूची तैयार की और उसी आधार पर क्षेत्रीय क्लस्टर तैयार हुए। भूमि का चयन हुआ तथा इतनी तैयारी करने के बाद श्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्राएं आरंभ कीं, वे इस वर्ष जनवरी माह में सिंगापुर, जून माह में चीन, अगस्त में मुंबई, सितम्बर माह में अमरीका, हैदराबाद और बैंगलूरू दिल्ली की यात्राएं कीं। श्री चौहान ने केवल यात्राएं अथवा बैठकों में संबोधन का ही काम नहीं किया बल्कि रोड शो भी किए मुंबई में आयोजित सेमिनार और रोड शो में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सर्वाधिक निवेश मित्र राज्य है। उन्होंने कहा कि उद्योग समुदाय के सहयोग से मध्यप्रदेश को सुखी प्रदेश बनायेंगे। युवाओं को उद्यमशील बनाने के लिए नवाचारी योजनाएँ बनायी गयी हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता देने के लिए नई योजना शुरू की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की और कहा कि निवेशकों की सहायता के लिए प्रभावी और पूरी तरह पारदर्शी सिंगल विंडो व्यवस्था स्थापित की गयी है।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि बैंक स्थापित किया गया है। निवेश के लिए सभी जरूरी अधोसंरचना स्थापित हैं। पानी, बिजली, सड़क सभी जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। आकर्षक नीतियाँ बनाई गयी हैं। उद्योग मित्र नीतियों और निवेश अनुकूल निर्णयों के कारण पिछले एक दशक में तेजी से निवेश हो रहा है।

बैंगलूरू में सेमिनार

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए श्री शिवराज सिंह चौहान बैंगलूरू गए वहां उन्होंने बैठकें कीं और सेमिनार में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने निवेश संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएँ हैं। इसके लिये पर्यटन केबिनेट बनायी गयी है। मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। अब यह तेजी से विकासशील राज्य बनकर कई क्षेत्र में अग्रणी है। प्रदेश में निवेश के लिये

मुंबई में उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा

निवेशकों ने राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीतियों की सराहना की और मध्य प्रदेश में स्थापित इकाइयों में विस्तार करने में रुचि दिखाई।

- पीरामल ग्रुप के अध्यक्ष श्री अजय पीरामल ने आनंद मंत्रालय की स्थापना करने की पहल को प्रगतिशील बताते हुए कहा कि निवेश नीतियाँ आकर्षित करने वाली हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- गोदरेज उद्योग समूह के चेयरमेन श्री आदि गोदरेज ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
- एल एंड टी के प्रबंध संचालक श्री शैलेन्द्र रॉय ने रक्षा उपकरण उत्पादन के क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये निवेश करने के सम्बन्ध में चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि यह क्षेत्र नया है और इसमें निवेश का स्वागत है।
- जेड एफ स्टीयरिंग के प्रमुख श्री दिनेश मुनुत ने बताया कि अक्टूबर माह से ही मध्यप्रदेश में अपना मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो कम्पोनेन्ट निर्माता कम्पनियों को भी प्रोत्साहित करें। इस क्षेत्र में रोजगार निर्माण की काफी सम्भावनाएँ हैं। उन्होंने निर्माण क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियों की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रयास किये जायेंगे।

बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी है। प्रदेश में एक समय चम्बल क्षेत्र में जहाँ बीहड़ वन थे, आज वे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं।

मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा किया है। नर्मदा को क्षिप्रा से लिंक किया गया है। केवल खेती ही सबका पेट नहीं भर सकती, इसलिये राज्य सरकार उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। युवाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्हें 15 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है और पाँच वर्ष के लिये ब्याज में 5 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में 100 करोड़ रुपये का वेंचर केपिटल फंड बनाया गया है। निवेशकों की सुविधा के लिये नीतियों में परिवर्तन किया गया है तथा सिंगल विण्डो प्रणाली शुरू की गयी है। लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून बनाया गया है। इसमें विभिन्न सेवाओं के प्रदान करने की समय-सीमा तय की गयी है। इसमें देरी होने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में उद्योग उन्मुखी वातावरण होने का कारण ही आज पंजाब की टेक्सटाइल इण्डस्ट्री मध्यप्रदेश की ओर रुख कर रही है।

आज मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सड़क, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता मध्यप्रदेश में मौजूद है।

इस दौरान लेप्प इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मार्क जारॉर्ट, माइण्ड ट्री के एक्जीक्यूटिव चेयरमेन श्री कृष्ण कुमार नटराजन, ग्रुप ऑफ गारमेंट मेन्युफेक्चर्स वर्धमान ग्रुप के को-ऑर्डिनेटर श्री मुकेश बंसल, मयूर यूनीक्वॉटर के चेयरमेन श्री सुरेश के. पोद्दर, को-ऑडिनेटर श्री स्वप्निल व्यास, एमेजॉन सेलर सर्विस के डायरेक्टर श्री अविनाश रामाचन्द्रा, स्माइल सिक्यूरिटी एण्ड सर्विलेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राहुल गुप्ता, वाल्वो इंडिया के एम.डी. श्री कमल बाली, ए.बी.बी. के एम.डी. श्री संजीव शर्मा सहित अन्य कम्पनी, औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

हैदराबाद में

मुख्यमंत्री श्री चौहान 21 सितम्बर को सुबह हैदराबाद के होटल रेडीसन ब्लू प्लाजा में आयोजित इन्वेस्टर्स सेमिनार में शामिल हुए। उन्होंने हैदराबाद में विभिन्न कम्पनियों के प्रमुखों से वन-टू-वन मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने फर्मामेक्सिल कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ कम्पनी के महानिदेशक श्री पी.व्ही. अप्पाजी, नवयुग कंस्ट्रक्शन श्री रवि राजू, मेघा इंजीनियरिंग के श्री व्ही. श्रीनिवास रेड्डी, टाटा एडवांस सिस्टम के एयरो स्पेस हेड श्री मसूद हुसैन, हास्पिटल डिवीजन एट अपोलो हास्पिटल इंटरप्राइजेस के प्रेसीडेंट डॉ. के. हरिप्रसाद और मायलान लेबोटरीज लिमिटेड के डॉ. हरिबाबू बोडेपुडी से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री वन-टू-वन मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर आयोजित सेमीनार में शामिल हुए। सेमीनार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री मोहम्मद सुलेमान और सीआईआई के चेयरमेन साथ रहे।

अमेरिका से महत्वपूर्ण प्रस्ताव

अमेरिका यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट और सोशल सेक्टर में महत्वपूर्ण प्रस्ताव अमेरिकी कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। अमेरिकी निवेशक इस बात से प्रभावित हुए कि सरकार के पिछले दस वर्षों के अथक प्रयासों से अब ब्रांड मध्यप्रदेश दुनिया के विकसित राज्यों में स्थापित हो चुका है। अब विदेशी कंपनियाँ प्रदेश में पूँजी निवेश के लिये आतुर हैं। प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, सर्वश्रेष्ठ अधोसंरचना जैसे भूमि, पानी, पॉवर, रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी, औद्योगिक शांति तथा बेहतर लॉ एण्ड आर्डर के कारण विदेशी कंपनियाँ प्रदेश में पूँजी निवेश को प्राथमिकता

सिंगापुर के साथ चार एम.ओ.यू.

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सिंगापुर यात्रा मध्यप्रदेश के लिये बहुत ही सफल रही। इस दौरान जहाँ श्री चौहान को प्रतिष्ठित ली कुआन यू एक्सचेंज फैलोशिप से सम्मानित किया गया, वहीं प्रदेश में विदेशी निवेश के लिए मध्यप्रदेश और सिंगापुर के बीच चार क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें शहरी नियोजन, कौशल विकास, क्लीन एनर्जी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र शामिल हैं।

- मध्यप्रदेश के नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय तथा सिंगापुर कार्पोरेशन इन्टरप्राइज के बीच एमओयू हुआ।
- मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा सिंगापुर की आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के बीच भी एमओयू हुआ।
- मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सिंगापुर के सेम्बकार्प ग्रीन इन्फ्रा लिमिटेड के बीच भी करार हुआ। इसमें मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में 1000 मेगावॉट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा एल टी फूड्स लिमिटेड इंडिया और डीएसएम न्यूट्रीशन प्रोडक्ट्स, सिंगापुर के बीच भी एमओयू हुआ। इस एमओयू के तहत शहरी नियोजन, क्षमता निर्माण, कौशल प्रशिक्षण और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी कार्य किये जायेंगे। साथ ही विभिन्न विकल्पों और प्रस्तावों का अध्ययन कर उन पर विचार किया जायेगा और प्रस्तावित उपक्रमों के कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।

दे रही हैं।

अपनी अमेरिका यात्रा के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि उनकी यात्रा अपने उद्देश्यों में उम्मीदों से अधिक सफल रही है। इस यात्रा में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का विशेष प्रयास किया गया। आईटी कम्पनियों से एमओयू किये हैं जिनमें 1000 करोड़ के पूँजी निवेश से 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कुल 25 कम्पनियों से वन-टू-वन चर्चा की गई एवं 100 कम्पनियों ने निवेशक सम्मेलन में भाग लिया। सभी ने मध्यप्रदेश को पूँजी निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रदेश बताया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, प्रदेश की औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, त्वरित निर्णय लिये जाने की व्यवस्था बताते हुए कम्पनियों को मध्यप्रदेश में पूँजी निवेश के लिये एवं जीआईएस के लिये आमंत्रित किया है। लगभग दो सौ से अधिक उद्योग समूहों के प्रतिनिधि जी.आई.एस. 2016 में भाग लेंगे।

यात्रा के दौरान ट्रायफेक

सीआईआई-यूएसआईबीसी के संयुक्त तत्वावधान में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका की लगभग 100 कम्पनियों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमिनार में लंबे समय तक भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके श्री फ्रेंक वाईजनर, जो वर्तमान में अमेरिका और इंडिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये 'इंडिया फर्स्ट' संस्था से जुड़े हैं, भी शामिल हुए।

एमओयू हुए

यात्रा के दौरान यूएसटी ग्लोबल, नेटलिंक एवं दावत फूड द्वारा पाँच एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। इनमें 2 प्रस्ताव आईटी सेक्टर में, 5 मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना और विदेशी निवेश से इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही प्रदेश की अधोसंरचना में टेंडर के माध्यम से पूँजी निवेश के भी चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए विश्व विख्यात औषधि कंपनी, अमेरिकावासी भारतीय मूल के चिकित्सकों के संगठन, अमेरिकी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्ताव भी मिले हैं।

आईटी में निवेश

आईटी क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों में यूएसटी ग्लोबल द्वारा 650 करोड़ रुपये के निवेश से 5000 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव मिला है। इसमें 1000 महिलाओं के लिये रोजगार शामिल हैं। इसी प्रकार सिरियस एक्सम द्वारा 100 करोड़ रुपये के निवेश से 3000 व्यक्तियों को, टीडब्ल्यूआर कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये के निवेश से 1000 और एरेक्स इन्फोटेक्ट द्वारा 100 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश से 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने के परियोजना प्रस्ताव दिये गये हैं।

इसके साथ ही कौल ग्रुप के श्री राजीव कौल को आईटी पार्क की स्थापना के लिए 25 एकड़ भूमि पूर्व से ही दी जा चुकी है। कम्पनी ने शीघ्र इस पार्क में निर्माण प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। इसी तरह आरएमसी कम्पनी के प्रतिनिधि श्री जेफटोल इंदौर क्रिस्टल आईटी पार्क में एक बीपीओ की स्थापना करेंगे। इन्हें आईटी पार्क में स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। बीपीओ में कम से कम 500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

निर्माण इकाइयों में निवेश

मेन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में आईटी स्ट्रेटजी, टीआरडब्ल्यू कंपनी जो विश्व की आटोमोबाइल कम्पोनेंट बनाने के प्रसिद्ध जापानी कंपनी है।

कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश के आटो कम्पोनेंट इकाई की स्थापना की सहमति दी, जिसमें 400 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कंपनी दिसम्बर 2016 में प्रदेश का भ्रमण कर भूमि के चयन की कार्रवाई करेगी।

सफल उद्यमी एवं एनआरआई श्री चेतन खडरिया द्वारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सर्विसेज के लिये वायरलेस ट्रांसपोंडर्स के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया। इसमें 650 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश होगा। कंपनी द्वारा भारत सरकार को हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटन हेतु आवेदन किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम आवंटित होने पर उनके द्वारा ट्रांसपोंडर निर्माण की इकाई प्रदेश में स्थापित की जायेगी।

प्रोग्रेस रेल कंपनी के श्री मार्क बचनर द्वारा रेल कम्पोनेंट के निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कंपनी लोकोमोटो पार्ट्स सिग्नल तथा दूरसंचार उपकरण बनाती है। नोएडा में इनके द्वारा कंपनी स्थापित की जा चुकी है। कंपनी प्रदेश में रेल कम्पोनेंट निर्माण की इकाई स्थापित करेगी जिसकी लागत और रोजगार की जानकारी पृथक से कंपनी द्वारा दी जायेगी।

कोका कोला द्वारा प्रदेश में एक इकाई की स्थापना 750 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। कंपनी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में

और अधिक निवेश करना चाहती है। एमडी ट्रायफेक, कम्पनी के प्रतिनिधियों से संभावनाओं पर चर्चा कर शीघ्र इकाई की स्थापना को अंतिम स्वरूप देंगे। सनलाईट फाइनेंशियल कंपनी प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र तथा फोटोवोलटेइक सेल के निर्माण की इकाई स्थापित करना चाहती है।

औद्योगिक पार्क में निवेश

कासमी (चीन का लघु एवं मध्यम उपक्रमों का संगठन) प्रदेश में कम से कम 500 एकड़ भूमि में एक हजार इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना करेगा जिसमें कि चाईनीज कम्पनियों से पूँजी निवेश कराया जायेगा। कम्पनी को ग्वालियर एवं इंदौर के समीप उपयुक्त भूमि की जानकारी दी गई।

टेंडर द्वारा पूँजी निवेश

प्रदेश की अधोसंरचना में टेण्डर के माध्यम से पूँजी निवेश के प्रस्तावों में डायना ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप नगरीय निकायों द्वारा पेयजल एवं शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिये की जाने वाली निविदाओं में भाग लेगा। कम लागत की हाई टेक्नोलॉजी की परियोजनाओं में पूँजी निवेश करेगा। जाइलम कम्पनी ने भी प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, पेयजल आपूर्ति और वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन आदि अधोसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से पूँजी निवेश की सहमति दी। समिट में रिलायंस कंपनी द्वारा हाऊसिंग फॉर ऑल परियोजना के तहत प्रदेश की लो कॉस्ट हाऊसिंग परियोजनाओं में भाग लिया जायेगा। सनलाईट फाइनेंशियल सर्विसेज सोलर पॉवर की निविदाओं में भाग लेगी।

सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध

प्रदेश को कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी मिला है। सोलारइनों कंपनी ने मेट्रो तथा अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं में तीन बिलियन यू एस डालर तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव का राज्य शासन द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

पीड़ित मानवता की सेवा में सहयोग

यात्रा के दौरान स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका क्रियान्वयन पीड़ित मानवता की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विश्व की प्रसिद्ध दवा निर्माता कंपनी फाईजर सीएसआर कार्यक्रम के तहत कैंसर की शीघ्र पहचान के लिये स्वास्थ्य विभाग के साथ कम करना चाहती है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग विशेषकर अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल क्षेत्रों में कंपनी के साथ कैंसर रोग की पूर्व खोज के क्षेत्र में काम करेगा।

कैंसर, एड्स, हेपेटाईटिस सी जैसी बीमारियों की कम लागत की दवाइयों का निर्माण करने वाली गील्ड साइंस इनकार्पोरेटेड कंपनी द्वारा प्रदेश की कुछ फार्मा कम्पनियों से दवाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। कंपनी प्रदेश में हेपेटाईटिस सी, जो एक जानलेवा बीमारी है, के उपचार के संबंध में शासकीय चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिये एक वर्कशॉप आयोजित करेगी।

शंकराआई फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इंदौर शहर में चैरिटेबल आई हॉस्पिटल की स्थापना के लिये दो एकड़ भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। इस अस्पताल में 25 हजार आँख के रोगियों का निःशुल्क ऑपरेशन प्रतिवर्ष किया जायेगा तथा आम नागरिकों को कम दरों पर विश्वस्तरीय इलाज मिल सकेगा। कंपनी को सस्ती दरों पर दो एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। अमेरिका में भारतीय चिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन ऑफ इंडियन ओरिजन (आपी) के प्रेसीडेंट श्री अजय लोधा ने एसोसिएशन द्वारा बड़वानी एवं इंदौर में ट्रामा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर सहमति दी गई। साथ ही यह संगठन सड़क, रेल दुर्घटना हो जाने पर घायल के समुचित प्राथमिक उपचार के लिये पैरामेडिकल, पुलिसकर्मी, शासकीय सेवकों, ड्रायवर इत्यादि का एक प्रशिक्षण कराना चाहती है, जिस पर सहमति बनी। साथ ही संगठन ट्रामा (गंभीर दुर्घटना) की स्थिति में कैसे उपचार हो, इसके मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी करेगी।

प्रदेश में बोनमेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा कम लागत पर उपलब्ध होगी। इस संबंध में एमपी ट्रायफेक द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एण्ड सर्जन्स अंतर्गत पीडियाट्रिक्स विभाग के साथ समझौता किया गया है। इससे शासकीय मेडिकल कॉलेज में बोनमेरो ट्रांसप्लांट की

सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

मुख्यमंत्री की चीन यात्रा

परस्पर संवाद से भागीदारी का सफल प्रयास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जिस प्रकार चीन में सम्मान हुआ उससे लगता है चीन में मध्यप्रदेश को लेकर समझ बढ़ी है। अब मध्यप्रदेश को भी निवेश के सर्वाधिक उपयुक्त राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है। चीन यात्रा से लौटकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चीन यात्रा से दोनों देशों में आपसी समझ बढ़ी है और नया रिश्ता बना है। परस्पर संबंध मजबूत हो रहे हैं। चीन और भारत दोनों देशों के बीच संवाद होना चाहिये। साथ ही निवेश संबंध भी बढ़ना चाहिये।

कंपनियाँ मध्यप्रदेश का दौरा करेंगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेमी कंडक्टर फेब और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स निर्माण की प्रमुख इकाई बीओई उद्योग ने प्रदेश के औद्योगिक वातावरण से प्रभावित होकर सेमीकंडक्टर फेब निर्माण की इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई।

उन्होंने कहा कि आईटी विभाग की इस कंपनी से बातचीत हो चुकी है। जल्दी ही कंपनी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दौरे पर आयेगा। चीन की प्रसिद्ध मशीन निर्माता कंपनी सेनी समूह से करारनामे के अनुसार सेनी ग्रुप मध्यप्रदेश में एक बिलियन डॉलर निवेश करने जा रहा है।

सेनी समूह 500 मेगावॉट विंड एनर्जी सेक्टर और औद्योगिक अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में निवेश करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेश की इच्छुक कंपनियों को मध्यप्रदेश के इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेनी ग्रुप के साथ 6700 करोड़ के पूँजी निवेश से 500 मेगावॉट के पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माण इकाई की स्थापना के संबंध में एमओयू हुआ। इसके अलावा जियांग्सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच भी समझौता हुआ।

उदार निवेश नीति

चीन गए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बीजिंग में मध्यप्रदेश में निवेश पर सेमिनार में मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों और उससे होने वाले लाभ की चर्चा की। उन्होंने निवेश की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी विस्तार से चर्चा की। सेमिनार में चीन के प्रतिष्ठित व्यापार समूहों और निवेशक कंपनियों ने भाग लिया।

श्री चौहान ने कहा कि उदार निवेश नीतियों के कारण मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ता भारतीय राज्य है। इसकी सकल घरेलू उत्पादन की दर निरंतर बढ़ रही है। मध्यप्रदेश आना और निवेश करना सरल है। मध्यप्रदेश की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश 2004 के बाद से लगातार राजस्व आधिक्य वाला राज्य बन गया है और अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर दो अंक में बनाए रखने में सफल रहा है। कर राजस्व में वृद्धि दर 17 प्रतिशत हो गई है। निवेश के फायदे गिनाते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में विश्वस्तरीय निवेश के अनुकूल बुनियादी ढाँचा मजबूत हुआ है। यहाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा प्रमुख बड़े औद्योगिक क्षेत्रों सहित 230 विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें धार जिले के पीथमपुर में चीनी औद्योगिक टाउनशिप भी शामिल है।

निवेश में कहां किसकी है रुचि

	निवेश की इच्छुक कंपनी	क्षेत्र और प्रस्ताव	संबंधित विभाग
1.	सेनी समूह	● जुलाई में चर्चा के लिए भोपाल आएंगे ● प्रदेश में 1 बिलियन डॉलर के निवेश का प्रस्ताव 500 मेगावॉट के विंड एनर्जी सेक्टर में ● 1 बिलियन डॉलर औद्योगिक अधोसंरचना निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव ● सभी के लिये आवास में भागीदारी	● नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ● नगरीय विकास एवं पर्यावरण
2.	चाइना नेशनल केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी	● फर्टीलाइजर कारखाने के लिये शीघ्र ही उपलब्ध भूमि का अवलोकन कराया जायेगा ● रासायनिक खाद निर्माण ● ऊर्जा ऊत्पादन ● सीमेंट निर्माण में रुचि	● नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ● किसान कल्याण विभाग ● उद्योग विभाग
3.	चाइन फार्च्युन लेड डेवलपमेंट लिमिटेड	● नगरीय अधोसंरचना विकास और औद्योगिक अधोसंरचना विकास में रुचि	● नगरीय विकास एवं पर्यावरण ● उद्योग विभाग
4.	जियूसर ग्रुप	● सोयाबीन प्रसंस्करण	● कृषि कल्याण विभाग ● उद्यानिकी एवं खाद्य प्रस्संस्करण
5.	जिआंग्सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स	● कोयला खनन में रुचि।	● उद्योग विभाग
6.	चाइना चेंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स	● ग्रुप के सदस्यों को निवेश के लिए मध्यप्रदेश आमंत्रित किया गया।	● उद्योग
7.	ग्यूझू चांग टोंग समूह	● अक्षय ऊर्जा और ● जल प्रबंधक क्षेत्रों में निवेश के इच्छुक	● वाणिज्य एवं उद्योग ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ● अक्षय ऊर्जा विभाग
8.	साइनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन	● स्वास्थ्य सेवाओं में उन्नयन जीवन रक्षक दवाइयां आपूर्ति में रुचि	● लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ● लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
9.	च्वाईस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नालॉजी	● मेडिकल उपकरण निर्माण क्षेत्र में निवेश की इच्छुक	● उद्योग
10.	बीओई	● मोबाइल डिस्प्ले एवं सेमीकंडक्टर निर्माण	● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ● उद्योग विभाग
11.	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक	● ग्रामीण अंचल में पेयजल आपूर्ति ● मेट्रो परियोजना के लिये साफ्ट लोन	● नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण ● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
12.	ओप्पो मोबाइल	● मोबाइल सेट निर्माण	● विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ● उद्योग विभाग
13.	डाली फूड	● खाद्य एवं पेय पदार्थ निर्माण	● उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
14.	कंट्री गार्डन होल्डिंग कंपनी	● रियल स्टेट	● नगरीय विकास एवं पर्यावरण
15.	गुआंग टांग इलेक्ट्रिकल चेंबर ऑफ कॉमर्स	● उत्पादों के विपणन एवं वितरण	● उद्योग विभाग
16.	ईवूसिटी	● ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक बाइक उद्योग	● उद्योग विभाग
17.	होवाई टेक्नालॉजी	● टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण निर्माण	● उद्योग विभाग
18.	झेनहुआ कंपनी	● मोबाइल फोन असेंबलिंग	● उद्योग विभाग
19.	खांगली ला इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट हांगकांग	● होटल निर्माण ● वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स	● नागरिक आपूर्ति ● पर्यटन एवं उद्योग
20.	इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स हांगकांग	● मध्यप्रदेश में निवेश सहयोग के लिए ● हांगकांग में रोड शो करने का निर्णय	● नगरीय विकास विभाग ● उद्योग विभाग

● **प्रस्तुति : भूपेन्द्र नामदेव**

यूनाइटेड किंगडम में मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी दो दिवसीय यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश प्रोत्साहन तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में ब्रिटिश कम्पनियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटीज एक्सपर्ट्स के साथ राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस के दौरान मध्यप्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने संबंधी कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड किंगडम की इन्डस्ट्रियल बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित सेमीनार में प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों और यहाँ निवेश के संभावित क्षेत्रों की जानकारी प्रतिभागियों को दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यात्रा के अंत में फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश के यूनाइटेड किंगडम चेप्टर को भी संबोधित किया।

यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिये चिन्हांकित शहरों के विकास पर यूनाइटेड किंगडम की अनुभवी कम्पनियों के साथ राउण्ड टेबल कांफ्रेंस की। मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में प्रदेश के शहरों के स्मार्ट सिटीज के रूप में विकास एवं अवसरों की जानकारी दी। यूनाइटेड किंगडम की कम्पनी ने स्मार्ट सिटीज विकसित करने संबंधी अपनी क्षमताओं का प्रस्तुतिकरण दिया तथा कम्पनियों को प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया।

प्यूरिको द्वारा पीपीपी में स्किल डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना की सहमति

श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के मूल निवासी और प्यूरिको फाउन्डेशन के चेयरमेन श्री रामनाथ पुरी के साथ वन-टू-वन चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री पुरी ने मध्यप्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत कौशल विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए सभी संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया। श्री पुरी ने इंदौर में जीआईएस-2016 के पहले ही भोपाल और इन्दौर के समीप भूमि का चिन्हांकन कर पीपीपी मॉडल पर स्किल डेव्हलपमेंट सेन्टर स्थापित करने की भी सहमति दी। उन्होंने इसके लिये मध्यप्रदेश शासन से एमओयू करने और जीआईएस में शामिल होने की सहमति दी।

मध्यप्रदेश की विकास योजनाओं में सहयोग करेगा ब्रिटेन

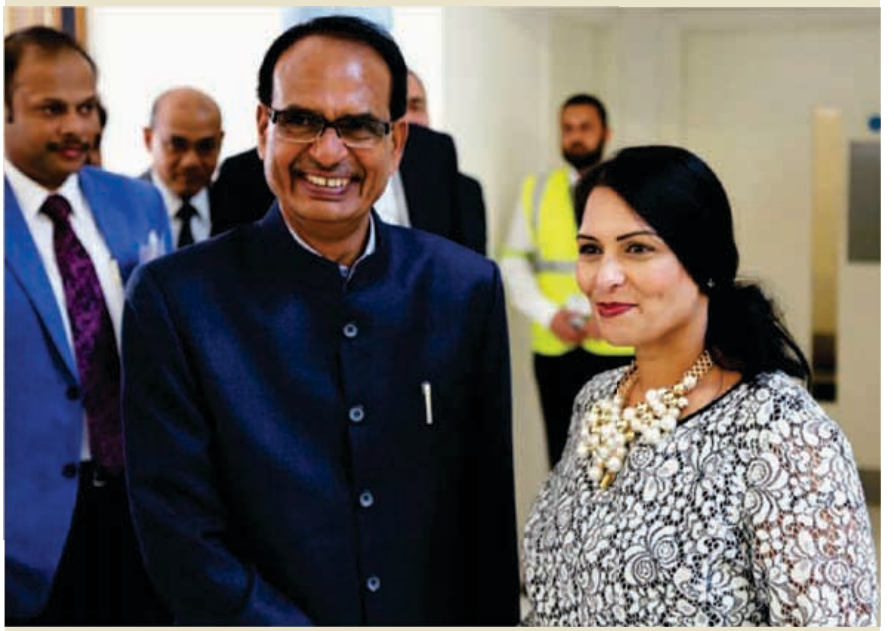

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट श्रीमती प्रीति पटेल से मुलाकात की।

लंदन, मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में सभी क्षेत्रों में विकास किया है। मध्यप्रदेश निवेश मित्र राज्य है और यहां निवेशकों के सामने किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट श्रीमती प्रीति पटेल से मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात के दौरान श्रीमती पटेल ने कहा कि ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग मध्यप्रदेश की विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों, विशेष रूप से कौशल विकास और कम लागत के आवास के निर्माण में भरपूर सहयोग करेगा।

श्री चौहान ने फ्रेंड्स ऑफ मध्यप्रदेश की यूके शाखा के सदस्यों को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश से जुड़े रहें ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ प्रदेश के लोगों को मिलता रहे। श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजना में निवेश में रुचि रखने वाली निवेशक कंपनियों को बताया कि मध्यप्रदेश अगले तीन साल में शहरों के विकास पर 75 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा ताकि बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों का भी समान रूप से विकास हो सके। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पास उपलब्ध स्मार्ट सिटी विकास और प्रबंधन की विशेषता और आधुनिक टेक्नालॉजी का सहयोग मध्यप्रदेश को मिलेगा, तो प्रदेश की विकास की गति और तेज होगी। मध्यप्रदेश निवेश मित्र राज्य है और एक मित्र और सहयोगी के रूप में निवेशकों का स्वागत है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के विजन की सराहना

चर्चा के दौरान श्रीमती प्रीति पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के विजन की सराहना की। उन्होंने अगले छह माह में मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त अपेक्षाओं के संबंध में एक्शन प्लान और आउटपुट संबंधी योजना बनाने का आश्वासन दिया। श्रीमती पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा युवा उद्यमियों को तैयार करने

के विजन को सराहते हुए इस दिशा में सभी संभव तकनीकी सहयोग और सहायता का आश्वासन दिया।

रोल्स रॉयस कम्पनी के साथ चर्चा

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रोल्स रॉयस कम्पनी के श्री मागहिं तमिलारासन के साथ वन-टू-वन बैठक की गयी। बैठक में कंपनी द्वारा डिफेन्स टेक्नोलॉजी एवं एनर्जी (वेस्ट टू एनर्जी) के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश में स्मार्ट सिटी के विकास एवं निवेश की संभावनाओं एवं शासन द्वारा टेंडर प्रक्रिया द्वारा वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के लिये संयंत्र लगाने की संभावना पर चर्चा की गयी।

सिक्युरिटी पेपर मिल की स्थापना के लिये मध्यप्रदेश उपयुक्त

डि ला रू कम्पनी के श्री मार्टिन सादेरलन और श्री रोबिन मेकेंजी के साथ बैठक मध्यप्रदेश में सिक्यूरिटी पेपर मिल एवं आइडेंटिटी सॉफ्टवेयर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवगत करवाया कि सिक्यूरिटी पेपर मिल से संबंधित निवेश के लिए मध्यप्रदेश एक उपयुक्त डेस्टिनेशन हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रदेश द्वारा समस्त सहायता प्रदान की जाएगी।

फर्स्ट ग्रुप के साथ चर्चा - मुख्यमंत्री श्री चौहान की फर्स्ट ग्रुप के श्री टीम बुक्स्तो, श्री नार्मन मोलतू एवं श्री प्रसाद भाव के साथ वन-टू-वन चर्चा में ग्रुप द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका में उनके द्वारा चलाई जा रही बस तथा रेल परियोजनाओं की जानकारी दी गयी। प्रदेश के नगरीय विकास आयुक्त श्री विवेक अग्रवाल ने प्रदेश में 2000 बसों का संचालन कर पूरे प्रदेश को एक बेहतर परिवहन उपलब्ध करने की परियोजना की जानकारी दी। फर्स्ट ग्रुप के प्रतिनिधियों द्वारा इन परियोजनाओं के टेंडर में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की गयी।

यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान हिंदुजा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के को-चेयरमेन श्री गोपीचंद हिंदूजा द्वारा आयोजित रात्रि भोज में ब्रिटेन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ शामिल हुए। भोज में शामिल उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री ने जीआईएस-2016 में आमंत्रित किया एवं मध्यप्रदेश में निवेश के लिये प्रेरित किया।

इन्डो-यूके हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों से भेंट

यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान इन्डो-यूके इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के प्रतिनिधि मंडल से मिले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में 350 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं मल्टी सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों द्वारा अगले सप्ताह में भोपाल के समीप भूमि चिन्हांकित कर आगामी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान करने की बात कही।

जेसीबी कम्पनी से निवेश पर चर्चा

मुख्यमंत्री श्री चौहान की जेसीबी के प्रतिनिधि श्री फिलिप बोवेरत के साथ चर्चा के दौरान कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव आने पर यथासंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नाइन एलम्स में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्य एवं किंग्स क्रॉस स्टेशन की जीर्णोद्धार परियोजना का भी अवलोकन किया।

बिजनेस सेमिनार को संबोधन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और यूके इंडस्ट्रीज एण्ड बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित सेमिनार को भी संबोधित किया। सेमिनार में 100 से अधिक निवेशक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मध्यप्रदेश में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अक्टूबर में इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 में सभी को आमंत्रित किया।

देश और विदेश की विभिन्न कंपनियों, औद्योगिक समूहों तथा अन्य समन्वयकों की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम की मुलाकातों से यह उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इंदौर का समागम ऐतिहासिक होगा और निवेश के बाद औद्योगीकरण का अभियान प्रदेश को शीर्षस्थ स्थान पर ले जायेगा।

● **रमेश शर्मा**

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं।)

ग्लोबल समिट की अवधारणा
मध्यप्रदेश में बनाइये

जाने माने पत्रकार बनारसीदास चतुर्वेदी ने एक बार विनोद में कहा था कि 'पेड़ा बनाने का अधिकार सबको है लेकिन खाने का सिर्फ चौबे को।' इसी तर्ज पर कहें तो उद्योग लगाने का अधिकार सबको है लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने का अधिकार उद्योगपतियों की नजर में केवल मध्यप्रदेश को ही है।

पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति स्वदेशी हों या विदेशी वे मूलतः तीन बातें देखते हैं : राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता। हमारे मुख्यमंत्री ने ये तीनों बातें सुनिश्चित की हैं जिनके कारण उद्योगपति एक ओर अपनी पूंजी को सुरक्षित समझते हैं और दूसरी ओर अपने औद्योगिक उपक्रम को उत्पादक तथा लाभप्रद। मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने हेतु जमीन अधिग्रहण करने को लेकर किसान के हित की अनदेखी कभी नहीं की गई। यहां उद्योगपति और श्रमिक के बीच असंतोष और अशांति के तत्व आने ही नहीं दिये जाते। यही कारण है कि किसान और मजदूर का अनुकरणीय सहयोग मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने हेतु अनुकूलतम वातावरण उपलब्ध कराता है। सरकार जहां जनहित का ध्यान रखती है वहीं उद्योगपति भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का।

किसी भी नये उपक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिये लोकप्रिय राजनीतिक नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासनिक तंत्र की जरूरत होती है जो हमारे प्रदेश में सोने में सुहागा की भांति मौजूद है। वर्तमान में संसार की अर्थव्यवस्था मंदी की प्रवृत्ति से रेखांकित है। अब उद्योगपति अपनी पूंजी लगाने के पहले जो बुनियादी जरूरतें आवश्यक समझते हैं उनमें से प्रमुख है टिकाऊ विकास जिसे हम स्वयंपोषित विकास भी कह सकते हैं। इसी से जुड़े अन्य बिन्दु हैं मूलाधार संरचना यानी भूमि, जल, सड़क, बिजली आदि। ये तो हैं उद्योगपतियों की अपेक्षायें। परन्तु हमारी अपेक्षायें भी तो हैं जिनमें प्रमुख है प्रदेश का भला जिससे जुड़े बिन्दु हैं रोजगार, पर्यावरण मित्र उद्योगीकरण, उद्योग आधारित समावेशी विकास यानी उद्योगों से हमारे सभी लोगों का लाभ होना चाहिये। यह सभी बातें हमारी उद्योग नीति ने सुनिश्चित की हैं जिसने मध्यप्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योगीकरण का मूलाधार माना है। हमारे मुख्यमंत्री अमेरिका, यू.के. सहित जहां-जहां

"पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति स्वदेशी हों या विदेशी वे मूलतः तीन बातें देखते हैं : राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता। हमारे मुख्यमंत्री ने ये तीनों बातें सुनिश्चित की हैं जिनके कारण उद्योगपति एक ओर अपनी पूंजी को सुरक्षित समझते हैं और दूसरी ओर अपने औद्योगिक उपक्रम को उत्पादक तथा लाभप्रद। मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने हेतु जमीन अधिग्रहण करने को लेकर किसान के हित की अनदेखी कभी नहीं की गई। गत दस वर्षों से विभिन्न संभावनाओं को साकार करने के लिये मध्यप्रदेश ने व्यापक एवं विस्तृत औद्योगिक नीतियां बनाई हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक साधनों और उनके उत्पादों पर आधारित उद्योग लगवाना है।"

गए हैं वहां के उद्योगपति मध्यप्रदेश की इसी उद्योग नीति के कारण हमारे यहां पूंजी लगाने को लाइन लगाये खड़े हैं। इन्दौर की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये भी यही माहौल है। नोट करने वाली बात यह है कि एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के बाद अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक उद्योग मध्यप्रदेश में ही लगे हैं।

गत दस वर्षों से विभिन्न संभावनाओं को साकार करने के लिये मध्यप्रदेश ने व्यापक एवं विस्तृत औद्योगिक नीतियां बनाई हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक साधनों और उनके उत्पादों पर आधारित उद्योग लगवाना है। इसी के साथ-साथ मानव संसाधन को सक्षम बनाने के लिये कौशल विकास का सशक्त और परिणामोन्मुख कार्यक्रम लिया गया है जिसका विस्तार नगरों से लेकर गांवों तक में सुनिश्चित किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री ने अमेरिका और योरपीय देशों सहित विदेशों में जहां-जहां उद्योगपतियों को न्योता दिया है वहां-वहां कौशल विकास योजना को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया है। अभी हाल के ब्रिटेन दौरे में भी इस बिन्दु को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इसके पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि यदि स्थानीय लोग विभिन्न प्रकार के कला-कौशल में पारंगत हो जायेंगे तो महात्मा गांधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय तथा एकात्म मानववाद को साकार किया जा सकेगा। जो व्यक्ति सामग्री बनाने और सेवा देने में सक्षम होगा उसे नौकरी ढूंढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वह तो स्वयं ही स्थानीय संसाधनों पर आधारित 'स्टार्ट अप' का प्रणेता बन चुका होगा। ऐसे कौशलवान समूह न केवल अपनी रोजी खुद कमायेंगे बल्कि दूसरों को भी स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देंगे। इससे गाँवों से नगरों की ओर पलायन रुक जायेगा जो कि स्मार्ट सिटी बनाने की पहली शर्त है।

आज सारी दुनिया नगरीकरण की समस्याओं से परेशान है। विकसित देश नगरों से दूर पर्यावरण-मित्र उद्योग लगाने के पक्षधर बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई हैं उनके पालन के लिये हमें भी अपनी विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में पहले से सकारात्मक योगदान देना प्रारंभ कर दिया है।

हमारे पर्यावरण-मित्र उद्योग अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां एक टिकाऊ और स्वयं पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा है। यदि हम निवेश के अपने अठारह क्षेत्रों पर विचार करें तो उनमें से लगभग एक दर्जन के पते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हम पीथमपुर सहित तामोट, मंडीदीप, बिलौआ, कीरतपुर, सीतापुर, मोहासा, पड़ोरा, मालनपुर आदि ग्रामीण इलाकों के नाम प्रमुख औद्योगिक निवेश क्षेत्रों के रूप में सुनते, देखते हैं। यह हमारी उद्योग-नीतियों की विशेषता है जो कृषि और उद्योग तथा नगर और ग्राम के समान विकास पर आधारित है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप सर्वाधिक स्थानीय रोजगार

प्रदेश के सबसे बेहतर भौगोलिक स्थिति का लाभ

- **भारत के बड़े महानगरों से हवाई और रेल मार्ग द्वारा सबसे बेहतर जुड़ाव।**
- **पाँच इनलैण्ड कंटेनर डिपो - मालनपुर, रतलाम, मंडीदीप, पीथमपुर, पवारखेड़ा जो बेहतर सुविधाओं से युक्त हैं।**
- **पूर्णरूप से तैयार औद्योगिक ढांचे के साथ भारत के सबसे बड़े डीएमआईसी इंफ्लूऐंस एरिया में से एक।**

संसाधनों से धनी प्रदेश

- **भारत की सबसे बड़ी ओपन कॉस्ट माइन खनिजों के मामले में सबसे समृद्ध राज्य।**
- **एशिया की सबसे बड़ी कोल सीम कोल्ड फील्ड मध्यप्रदेश में।**
- **कृषि संसाधनों से समृद्ध - चार सालों से लगातार उच्च कृषि उत्पादन के लिए कृषि कर्मण अवॉर्ड।**

मिलता है जो गरीबी उन्मूलन में सहायक होता है।

मध्यप्रदेश और अन्य राज्यों के उद्योगीकरण में एक बुनियादी अंतर है जो कृषि तथा उद्योग के बीच संतुलन को रेखांकित करता है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रदेशों में मेन्यूफेक्चरिंग (फेक्टरी में बने माल) का जीडीपी में योगदान कृषि सहित उसके किसी भी सेक्टर से अधिक है। मध्यप्रदेश में संतुलन है क्योंकि यहां के ग्रामीण परिवारों में 70 प्रतिशत कृषक हैं। हमारे यहां कलस्टर आधारित ग्रामीणोन्मुख औद्योगीकरण है। हमारे यहां उद्योगीकरण एक नगरीय केन्द्र में केन्द्रित न होकर क्लस्टरों (समूहों) में फैला है जो विकेन्द्रीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का समान विकास कर रहा है। गांवों को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। यहां तक देखा जा रहा है कि कृषि की अतिरिक्त आय का पूंजी निवेश स्थानीय कुटीर उद्योगों और 'स्टार्ट अप' में होने लगा है। प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार बाकायदा स्टार्ट अप नीति बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। हम औद्योगीकरण कर रहे हैं लेकिन हमने मशीन को प्रकृति पर हावी नहीं होने दिया है। देश की कुल जैविक खेती का 40 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है। यदि औद्योगीकरण की विकासदर 14-15 प्रतिशत है तो कृषि की बढ़त 24 प्रतिशत है। कृषि और उद्योगों का एक साथ संतुलित विकास का एक सुपरिणाम यह है कि हमारे कृषक समुदायों में औद्योगीकरण की वजह से वह बेचैनी देखने नहीं मिलती जो कुछेक औद्योगीकृत राज्यों में अभी हाल ही में देखी गई है। मध्यप्रदेश में केवल कृषि और उद्योग में ही संतुलन नहीं बनाया है बल्कि उद्योग क्षेत्र में छोटे-बड़े उद्योगों के बीच संतुलन है। मिसाल के तौर पर पीथमपुर क्लस्टर में जहां 90 बड़े यूनिट हैं वहीं 700 से अधिक लघु और मध्यम यूनिट हैं। अकेला यही क्लस्टर पच्चीस हजार लोगों को रोजगार देता है।

हमारी बुनियादी नीति यह रही है कि पारिवारिक बंटवारों की वजह से कृषि जोतों में कमी तथा मौसमी विषमता के कारण कृषि पर जो विपरीत असर पड़ता है उसकी क्षतिपूर्ति ग्रामीण समूहों में विकेन्द्रित औद्योगीकरण से हो

तैयार ढांचागत सुविधाएँ

- सड़कों के रूप में।
- उद्योगों में 24 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली अबाध बिजली आपूर्ति।
- प्राकृतिक संसाधनों से जल की प्रचुर उपलब्धता।

भारत में कारोबार के लिए सबसे बेहतर राज्यों में से एक

- उद्योगों की जरूरत के मुताबिक बेहतर श्रम कानून और हर एक मजदूर के कल्याण का ध्यान।
- भारत का एकमात्र राज्य जो वेट रिफण्ड को सीधे निवेशकों के खाते में देता है।
- मातृसंस्था और उसकी उपइकाई को एक समान लाभ सुविधाएं।
- वैट (VAT), सीएसटी (CST), प्रोफेशनल टैक्स, लक्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
- ईएम पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ऑनलाइन पावती।
- जमीन आवंटन के लिए, बिल्डिंग परमिशन (स्वीकृति), पानी कनेक्शन और वित्तीय लाभ के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा www.invest.mp.gov.in पर उपलब्ध।
- अपनी पसंद की अभिव्यक्ति के लिए ऑनलाइन सुविधा।

सारी दुनिया नगरीकरण की समस्याओं से परेशान है। विकसित देश नगरों से दूर पर्यावरण मित्र उद्योग लगाने के पक्षधर बन चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई हैं उनके पालन के लिये हमें भी अपनी विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में पहले से सकारात्मक योगदान देना प्रारंभ कर दिया है। हमारे पर्यावरण मित्र उद्योग अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहां एक टिकाऊ और स्वयं पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा है। यदि हम निवेश के अपने अठारह क्षेत्रों पर विचार करें तो उनमें से लगभग एक दर्जन के पते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। हम पीथमपुर सहित तामोट, मंडीदीप, बिलौआ, कीरतपुर, सीतापुर, मोहासा, पड़ोरा, मालनपुर आदि ग्रामीण इलाकों के नाम प्रमुख औद्योगिक निवेश क्षेत्रों के रूप में सुनते, देखते हैं। यह हमारी उद्योग नीतियों की विशेषता है जो कृषि और उद्योग तथा नगर और ग्राम के समान विकास पर आधारित हैं।

जाये तथा उद्योगों को द्रुतगति से बढ़ते कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी क्षेत्र का संबल प्राप्त होता रहे।

प्रधानमंत्री ने फार्म, फायबर, फेब्रिक और फैशन का नारा दिया था। इसका अर्थ है खेत में कपास, उससे रेशा, उससे कपड़ा और फिर विश्व-स्तरीय फेशनेबल कपड़ा उद्योग। मध्यप्रदेश देश के कपास उत्पादक पांच शीर्ष प्रदेशों में है। चंदेरी और महेश्वरी तो विश्व फेशन बाजार में ब्रांड बन गये हैं। दुनिया भर के उद्योगपति अंततः मध्यप्रदेश की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक दुनिया भर के अर्थशास्त्री यही कहते हैं कि जहां कोयला और लोहा है वहीं औद्योगीकरण होगा। मध्यप्रदेश में विपुल लौह अयस्क और अकूत कोयला भंडार हैं। यहां तो हीरे की खदानें भी हैं जिन्हें लेकर महाराज छत्रसाल के एक राजकवि ने लिखा था :

ने सुक खनत निकसत भंडार हीरन के...

पंजाब, हरियाणा और यू.पी. से ज्यादा गेहूं उत्पादन, देश का एक चौथाई तिलहन, चालीस प्रतिशत चना, सर्वाधिक धनिया लहसुन और औषधि प्रजातियों की भरमार तो मध्यप्रदेश में ही है। स्वाभाविक है कि कृषि आधारित उद्योगों में निवेश होगा। बिजली, सीमेन्ट और लोहा इस्पात उद्योग के लिये केप्टिव माइनिंग का सटीक ब्यौरा मौजूद है। तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना, ग्रेनाइट आदि अनेकानेक खनिजों का कच्चामाल उद्योगों के लिये सतत् पूर्ति के आधार पर उपलब्ध है। कचरे से कंचन बनाने की पर्यावरण-मित्र योजनायें तो स्मार्ट सिटी के पहले स्मार्ट ग्राम बना रही हैं।

हमारे मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग पर विशेष बल दिया है। अबकी बार का सिंहस्थ विश्व को एक सर्वथा नये प्रकार का पर्यटन संदेश दे गया - यह था धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन। सांची, मांडू, खजुराहो जैसे प्राचीन स्थल पुराकालीन पर्यटन को परम्परागत ढंग से आमंत्रित करते रहे हैं।

हमारी जैविक विविधा से सम्पन्न वन ईको-टूरिज्म को आकर्षित करते हैं जबकि कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना जैसे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन आधारित पर्यटन की मंजिल हैं। इन सबका समग्र परिणाम है दैनंदिन फलता-फूलता पर्यटन उद्योग। यह प्रदूषण रहित उद्योग है जिसमें अरबों का निवेश होता है और जिससे पर्यटकों के आगमन के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है। इस बार की इन्दौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर इन्हीं तमाम कारणों से आशा से अधिक सफलता की अपेक्षा है। इसकी बुनियादी अवधारणा है- 'मेक इन मध्यप्रदेश'। इसमें प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लगभग तीन हजार प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। जापान, दक्षिण कोरिया, यू.ए.ई. और सिंगापुर जैसे देशों की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रहेगी।

औद्योगीकरण के फोकस सेक्टर हैं : कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, हाथकरघा और वस्त्रोद्योग, औषधि, पर्यटन, सौर ऊर्जा, नगरीय विकास, ऑटोमोबाइल और अभियांत्रिकी इत्यादि। हमारे मुख्यमंत्री तो स्वयं हमारे ब्रांड एम्बेसेडर हैं।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

मेक इन इंडिया के सपने को साकार करता मध्यप्रदेश

देश-दुनिया के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं, राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों तथा प्रदेश की क्षमताओं से अवगत कराकर निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 5वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन 22-23 अक्टूबर को इन्दौर के ब्रिलियेंट कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। इस समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, यू.ए.ई. तथा सिंगापुर पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लेंगे।

समिट में लगभग 50 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त तथा इतने ही प्रमुख उद्योगपतियों के भाग लेने की संभावना है। समिट में लगभग 500 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ-साथ प्रदेश के लगभग एक हजार तथा अन्य प्रान्तों के लगभग 1500 प्रतिभागी शिरकत करेंगे। समिट थीम 'मेक इन मध्यप्रदेश' है।

तेज आर्थिक विकास

बीते 11-12 वर्ष में मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकल कर सबसे तेजी से विकसित होता प्रदेश बन गया है। बीते 4 वर्ष से मध्यप्रदेश की आर्थिक विकास दर डबल डिजिट में है। प्रदेश की जीएसडीपी 1 लाख करोड़ से 5 गुना बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 15 हजार रुपये से बढ़कर 59,770 रुपये हो गयी है। बीते 10 साल से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य की स्थिति में है।

फोकस सेक्टर

5वीं ग्लोबल इन्वेटर्स समिट में 9 फोकस सेक्टर्स हैं। इनमें एग्री बिजनेस एण्ड फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एण्ड हैण्डलूम, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एण्ड इंजीनियरिंग, टूरिज्म, डिफेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, आई/आईटीईएस तथा ईएसडीएम, अर्बन डेवलपमेंट शामिल हैं।

मध्यप्रदेश की खूबियाँ

मध्यप्रदेश की अनेक खुबियों के चलते निवेशक लगातार इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ 229 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, 19 विकास केन्द्र, 4 विशेष आर्थिक क्षेत्र और 12 विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं। उद्योगों के लिए 25 हजार हैक्टेयर भूमि का लैण्डबैंक निर्मित किया गया है। यह भूमि अविवादित है और इसके आवंटन की प्रक्रिया बहुत आसान बनायी गई है। प्रदेश में 5 अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो मालनपुर (ग्वालियर), रतलाम,

मण्डीदीप (भोपाल), पवारखेडा (इटारसी) और पीथमपुर (इन्दौर) में स्थित हैं। यहाँ 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हैं, प्रदेश से लगभग 425 ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं। प्रदेश में 17 हजार मेगावाट से अधिक बिजली की उपलब्धता है और प्रदेश बिजली में सरप्लस राज्य है। मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां हीरे का उत्पादन होता है। कोयला, चूना पत्थर, तांबा, मैंगनीज, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और कांच रेत के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है।

भारत की वनभूमि का 12% से अधिक और कोल रिजर्व का 7.7% हिस्सा मध्यप्रदेश में है। कोयला, कोल-बेड-मीथेन जैसे दुर्लभ ईंधन यहां उपलब्ध हैं। यहां कोल बेड मीथेन की उपलब्धता 144 मिलियन क्यूबिक मीटर है। प्रदेश में चूना पत्थर के बड़े भण्डार हैं। यहां 6000 मिलियन लाइम स्टोन रिजर्व है। प्रदेश के वनक्षेत्र में 2200 प्रजातियों के औषधीय पौधे पाये जाते हैं। मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था एवं औद्योगिक शांति का बेहतर वातावरण है। यहां कुशल तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मेनपॉवर उपलब्ध है। प्रदेश में जमीन और श्रम की लागत कम है।

पर्यटन

मध्यप्रदेश में पर्यटन के जितने विविध रंग बिखरे हैं, उतने शायद किसी अन्य राज्य में नहीं होंगे। मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में वन्य, धार्मिक और जल पर्यटन स्थल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। यहां 16 पर्यटन जोन बनाये गये हैं। पर्यटन स्थलों के पास पर्याप्त लैण्डबैंक उपलब्ध है। केपिटल सब्सिडी देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।

राज्य सरकार ने पर्यटन में निवेश की नई नीति हाल ही में घोषित की है। भूमि निवर्तन नीति में संशोधन किये गये हैं। नये होटलों विलासिता कर में 8% छूट दी जा रही है। 3000 रुपये तक के किराये के कमरों पर विलासिता कर नहीं लगेगा। हेरीटेज होटलों में 10 वर्ष के लिए छूट की पात्रता होगी।

कृषि में सिरमौर

मध्यप्रदेश कृषि विकास में देश का सिरमोर है। बीते 4 साल से प्रदेश की औसत कृषि विकास दर 20% बनी हुई है। प्रदेश को 4 साल से लगातार भारत सरकार का कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। मध्यप्रदेश देश का नया फूड बास्केट बनकर उभर रहा है।

प्रदेश में 10 वर्ष में समग्र कृषि उत्पादन 1 करोड़ 43 लाख मीट्रिक टन था जो पिछले बढ़कर 456 लाख मीट्रिक टन हो गया। गेहूं उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश अब देश में

दूसरे स्थान पर आ गया है। इसका उत्पादन 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 185 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

उद्यानिकी के विकास में भी मध्यप्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में उद्यानिकी क्षेत्रफल 5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर हो गया है। उद्यानिकी उत्पादन लगभग 43 लाख मीट्रिक टन से बढकर 247 लाख मीट्रिक टन हो गया है। केला, संतरा, आम और नींबू उत्पादन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। दूध उत्पादन लगभग दोगुना बढ़कर करीब 11 मिलियन टन हो गया है। आगामी 5 वर्ष में किसानों की आय दोगुना करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। देश के 18 कृषि जलवायु क्षेत्र में से 11 मध्यप्रदेश में हैं। सोयाबीन, दलहन, चना और लहसुन उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है।

तेज औद्योगिक विकास

मध्यप्रदेश की औसत औद्योगिक विकास दर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बावजूद बीते कुछ वर्षों से लगभग 8% बनी हुई है। प्रदेश में औद्योगीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। बीते 10 साल में 2 लाख 37 हजार एमएसएमई इकाइयाँ लगीं। इनमें 82 बिलियन रुपये के निवेश से 6 लाख लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के विशेष प्रयासों से देश-विदेश के निवेशक और उद्योगपति मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स के परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। वर्ष 2014 में हुई चौथी इन्वेस्टर्स समिट के बाद से 2 साल से कम अवधि में ही मध्यप्रदेश में 2.78 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो गया है।

मध्यप्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अलग एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है और उद्यमियों के अनुकूल एमएसएमई नीति लागू की गई है। स्टार्ट अप नीति बनाने वाला मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है। छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने और उनका विस्तार करने के लिए लागू की गई मुद्रा बैंक योजना में 4 लाख 86 हजार लोगों को 4,898 करोड़ से अधिक की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

प्रदेश में युवाओं को स्वयं के उद्यम लगाने की ओर विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। पिछले वर्ष इसके लिए 72 हजार युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी। इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर अपने उद्योग-व्यवसाय स्थापित करने वाले उद्यमियों

बीते 11-12 वर्ष में मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकल कर सबसे तेजी से विकसित होता प्रदेश बन गया है। बीते 4 वर्ष से मध्यप्रदेश की आर्थिक विकास दर डबल डिजिट में है। प्रदेश की जीएसडीपी 1 लाख करोड़ से 5 गुना बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 15 हजार रुपये से बढ़कर 59,770 रुपये हो गयी है। बीते 10 साल से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य की स्थिति में है।

के 100 करोड़ रुपये का वेंचर केपिटल फण्ड स्थापित किया गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। उद्योग एवं व्यापार स्थापित करने और उनके संचालन से सम्बंधित प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया है। सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सेवाएं आसानी से दी जा रही हैं। इनमें भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन, प्रदूषण सम्बंधी अनुमतियां, श्रम कानूनों के अधीन पंजीयन, औद्योगिक क्षेत्रों में बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन, वाटर कनेक्शन और वित्तीय रियायतें आदि शामिल हैं।

श्रम कानूनों एवं प्रक्रियाओं में सुधार किया गया है। अब रजिस्टरों की संख्या 61 से घटाकर एक तथा रिटर्न की संख्या 13 से घटा कर 2 कर दी गयी है। सूक्ष्म उद्योगों को व श्रम कानूनों में छूट दी गयी है।

जहाँ एमएसएमई स्थापित होंगे, वहीं मेगा प्रोजेक्ट आएंगे क्योंकि उनको अच्छे वेंडर की आवश्यकता है। प्रदेश की एमएसएमई को विकसित करने के उद्देश्य से वेंडर डेव्हलपमेंट, विपणन समर्थन तथा तकनीकी उन्नयन कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश की वेंडर इकाइयों की बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की एंकर इकाइयों से 35 स्थानों पर बी 2 बी (बिजनेस 2 बिजनेस) बैठकें अभी तक राज्य के वेंडर विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई हैं। अब तक प्रदेश की 600 से अधिक वेंडर इकाइयों को 74 शासकीय उपक्रम/वृहद इकाइयों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

एमएसएमई के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाएं

विगत 1 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित एमएसएमई सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक घोषणाएं कीं। यह घोषणाएं इस प्रकार हैं -

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को मार्गदर्शन एवं सहायता देने के लिये एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल का गठन किया जाएगा। इसके जरिए एमएसएमई इकाइयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर मिलेगी। यह सेल एक जनवरी, 2017 से प्रारम्भ किया जाएगा। इस सेल में 20 कंसलटेंट कार्य करेंगे। इन कंसलटेंट को बड़े जिलों में पदस्थ करेंगे और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया जाएगा।
- एमएसएमई इकाइयों के प्रोत्साहन के लिये शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ एवं सहायताओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूंजी अनुदान, वेट प्रतिपूर्ति एवं प्रवेश कर छूट की कार्यवाही पूर्ण करने के लिये एक माह की समय-सीमा तय।

- इसके अलावा उद्योगों की आवश्यक अनुमतियों को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा।

पाँच औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनेंगे

प्रदेश के पांच प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में एक्जीबिशन सेन्टर बनाये जायेंगे। इनमें गोविन्दपुरा भोपाल, रिछाई जबलपुर, पोलो ग्राउण्ड इंदौर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर एवं सतना शामिल हैं।

निजी भूमि पर इकाई स्थापना की अनुमति की समय-सीमा तय

एमएसएमई इकाइयों द्वारा अपनी निजी भूमि पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिये डायवर्सन अंतर्गत रि-असेसमेंट आदेश एक माह में जारी होंगे। इसके वर्तमान प्रावधानों को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम के तहत लाया जायेगा ताकि एक निश्चित अवधि में एमएसएमई इकाइयों को लाभ प्राप्त हो सके।

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रति त्रैमास एमएसएमई की समस्या निराकरण/ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुझावों के लिए ओपन हाउस आयोजित किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक संघ और विभागों के सचिव साथ रहेंगे।
- एमएसएमई विभाग की पृथक वेबसाइट का निर्माण किया गया। यह आज से प्रारंभ होगी।
- प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाइन निःशुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के विकास में व्यय हुई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उसका क्षेत्रफल न्यूनतम 50 एकड़ के बजाय 10 एकड़ किया जायेगा।

औद्योगिक भूमि आवंटन नियम में बदलाव

- एमएसएमई इकाइयों को आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं भूमि के मूल्य में दी जा रही छूट के स्लेब में परिवर्तन कर भूमि के मूल्य पर अधिकतम छूट 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 95 प्रतिशत की जायेगी।
- बीमार/बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 50 प्रतिशत तक की भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति दी जायेगी। ये सुविधाएं एक अप्रैल 2015 के पूर्व बंद/बीमार इकाई के रूप में परिभाषित इकाइयों के लिए होंगी।
- एक अप्रैल, 2015 के पूर्व के पट्टाधारकों को पट्टे की शर्तों के अनुसार ही भू-भाटक प्रभावशील रहेंगे, किन्तु इकाई के हस्तांतरण होने पर नवीन नियम प्रभावशील हो जायेंगे।
- 30 वर्ष के लीजधारक को 15 वर्ष का भू-भाटक एक मुश्त जमा करने पर शेष 15 वर्ष के भू-भाटक से मुक्त रखा जाएगा।
- लीजधारकों को 30 और 99 वर्ष की लीज अवधि का विकल्प दिया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण के लिये औद्योगिक संगठनों को संधारण शुल्क के साथ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अर्थात जहाँ औद्योगिक संघ इच्छुक है वहां शासन द्वारा संधारण शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा बल्कि औद्योगिक संघ द्वारा वसूल किया जाकर स्वयं अपने क्षेत्र का संधारण किया जाएगा।
- औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक संघों को उनके कार्यालय के लिये जमीन आवंटित की जायेगी।
- औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित भवन निर्माण का नियमितीकरण और पूर्व के शुल्क/प्रीमियम का सेटलमेंट करने के लिये वन टाईम सेटलमेंट की एक योजना लायी जाएगी।

स्टार्ट अप नीति बनाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य

मध्यप्रदेश के भीतर स्टार्ट अप और नवाचार संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'प्लग एंड प्ले' के साथ इंक्यूबेशन सुविधा, प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान करने बाबत पृथक से नीति बनायी गई है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं -

- इसके अंतर्गत राज्य के भीतर इंक्यूबेटरों की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक पूंजी अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- राज्य में स्टार्ट अप प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इंक्यूबेटरों को आवर्ती खर्च हेतु संचालन सहायता, स्टाम्प शुल्क और फीस में छूट, सलाह आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप को प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान, लीज रेण्ट अनुदान, मार्केटिंग सहायता और पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान दिया जाएगा।
- मध्यप्रदेश में चयनित स्टार्ट अप को राज्य शासन द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश वेंचर केपिटल फण्ड से पूँजी प्रदान की जाएगी।
- ग्वालियर में रु. 15 करोड़ की लागत से टेक्सटाइल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

● **दिनेश मालवीय**
(लेखक मध्यप्रदेश माध्यम में कार्यरत हैं)

आईटी के क्षेत्र में बढ़ते प्रदेश के कदम

प्रदेश में राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नीति के अन्तर्गत प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उददेश्य से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आईटी पार्क विकसित किये जा रहे हैं। यहाँ पर आईटी के लिये मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। आईटी पार्क में उद्योगपतियों को आईटी कंपनी के लिये जमीन भी आवंटित की जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के नवीन अवसर सृजित किये जा रहे हैं। इस तरह से वर्तमान में निवेशकों को आईटी उद्योग लगाने के लिये सुनहरे अवसर हैं।

प्रदेश में राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति-2012 (यथा संशोधित-2014) का तत्परता से प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नीति के तहत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत अधोसंरचना का विकास हो रहा है। प्रदेश में अधोसंरचना के विकास से निवेश को आकर्षित करने एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के नवीन अवसर सृजित किये जा रहे हैं।

आई.टी. पार्क की स्थापना - प्रदेश के महानगर इन्दौर के परदेशीपुरा एवं ग्वालियर में आईटी पार्क संचालित हैं। सिंहासा आईटी पार्क, इन्दौर, बड़वई आईटी पार्क भोपाल एवं पूरवा जबलपुर में आईटी पार्क की स्थापना के प्रथम चरण में मूलभूत अधोसंरचना का विकास 75% पूर्ण हो चुका। आईटी पार्क इंदौर में 14, भोपाल में 25 एवं जबलपुर में 4 इकाईयों को भूमि आवंटित की गई है। सागर में आईटी पार्क की स्थापना की प्रक्रिया प्रचलित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स- मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC) की स्थापना राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है। शासन की नीति के अनुरूप प्रदेश के महानगरों में ईएमसी की स्थापना की जा रही है। मध्यप्रदेश, देश का वह पहला राज्य है जहाँ भारत सरकार द्वारा एक साथ दो (भोपाल एवं जबलपुर) में इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC) स्थापना की स्वीकृति दी गई है। भोपाल एवं जबलपुर में EMC की मूलभूत अधोसंरचना का विकास कार्य प्रगति पर है। ईएमसी में भवन निर्माण का काम अंतिम चरण में है। परियोजना के सुचारु संचालन के लिए प्रदेश में एक पृथक कंपनी भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर पार्क लिमिटेड का गठन किया गया है। क्लस्टर में 5 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। क्लस्टर के विकास का कार्य प्रगति पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स के क्षेत्र में 50000 रोजगारों का सृजन होगा।

स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN)- मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यालयों में नागरिकों की सुविधाओं के दृष्टिगत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के द्वारा दैनिक गतिविधियों का सुगमता, तीव्रता एवं पारदर्शिता से निष्पादन किये जाने में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मध्यप्रदेश में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) की स्थापना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत ब्लाक/तहसील जिला से एवं जिला संभाग से और संभाग राजधानी से हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गये हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 400 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 378 पॉप केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और 22 Points of Presence (POP) केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क के माध्यम से राज्य के 51 विभाग के कार्यालयों में 10000 उपयोगकर्ताओं को SWAN से कनेक्टिविटी दी गई है। शासकीय उपयोग में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क को अबाधित रूप से संचालित किये जाने के लिए प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।

स्टेट रेसीडेन्ट डाटा हब (SRDH) - प्रदेश के रहवासियों के केन्द्रीयकृत डाटा संधारण, संधारित डेटाबेस के विश्लेषण तथा

उससे बेहतर योजना नियोजन के उद्देश्य से प्रदेश में स्टेट रेसीडेंट डाटा हब (SRDH) की अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

राज्य में कॉमन डाटा रिपोजिटरी हेतु आधारभूत अधोसंरचना स्टेट रेसीडेन्ट डाटा हब (SRDH) के कार्य पूर्ण हो गये हैं। जून 2015 तक UIDAI से 3.6 करोड़ निवासियों का डाटा प्राप्त हो चुका है। प्रदेश के रहवासियों का 31 अगस्त, 2016 तक 85% प्रतिशत आधार पंजीयन पूर्ण हो चुका है। 31 दिसम्बर 2016 तक 100% पंजीयन के लिए कार्यवाही प्रचलित है।

स्टेट डाटा सेन्टर (State Data Centre) - मध्यप्रदेश सरकार के सभी विभागों एवं एजेन्सियों में उपलब्ध डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखने एवं आपस में बांटने की निरन्तरता (365 दिनX24 घण्टे) सुविधा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टेट डेटा सेन्टर की स्थापना की गई है। स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना से प्रत्येक विभाग को अपना डाटा सुरक्षित रखने के लिए पृथक-पृथक डाटा सेंटर बनाने की नहीं है। इस सेंटर में डाटा सुरक्षित रूप से संधारित रहता है। इसे त्वरित गति से उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें व्यय भी कम होता है और यह अधिक सुरक्षित रहता है।

राज्य शासन का स्टेट डाटा सेन्टर दिसम्बर 2012 से राजधानी भोपाल में क्रियाशील है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेन्टर (SDC) में विभिन्न विभागों की 314 एप्लीकेशन्स चल रही हैं।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली - शासकीय निविदाओं में पारदर्शिता एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं के लिए राज्य में वर्ष 2006 से ई-टेण्डरिंग प्रणाली संचालित है। शासन के सभी विभागों/संस्थाओं के लिए e-Procurement Portal का संचालन किया जा रहा है। विभाग की सभी निविदाएं ऑनलाइन की जाती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 61 हजार करोड़ के मूल्य की 54847 निविदाएं जारी की गईं। ई.एम.डी. एवं निविदा प्रपत्र बिक्री का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा किया जाता है।

एमपीऑनलाइन पोर्टल एवं नागरिक सुविधा केन्द्र - मध्यप्रदेश में नागरिकों को उनके निकटतम सुविधाजनक स्थान पर तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ वर्तमान में एमपीऑनलाइन कियोस्कों 21553 के माध्यम से राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही 450 शासकीय सेवायें सफलतापूर्वक ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वर्चुअल क्लासरूम परियोजना - वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्कृष्ट विषय विशेषज्ञों की शिक्षा का लाभ ब्लॉक स्तर तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के चिन्हित सभी 412 केन्द्रों की स्मार्ट कक्षायें क्रियाशील हैं। विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

VCR अंतर्गत अभी तक 3000 से अधिक व्याख्यानों का प्रसारण किया जा चुका है। इसमें लगभग 40 लाख से अधिक बच्चे लाभांवित हो चुके हैं।

ज्योग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम (GIS) - प्रदेश में GIS आधारित decision support systems विकसित करने के लिये मध्य प्रदेश स्टेट स्पाशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर (एम.पी.एस.एस.डी.आई.) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। GIS के लिए आवश्यक satellite ईमेज को समस्त उपयोगकर्ताओं से साझा किया जाकर शासन को 23 करोड़ से अधिक की बचत गत एक वर्ष में की गयी है। प्रदेश के सभी विभागों के GIS डाटा की single repository तैयार किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के खसरा नक्शों के एकीकृत GIS डाटा का निर्माण कार्य 94% पूर्ण हो चुका है। शेष ग्रामों के GIS नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। उपलब्ध नगरीय एवं वन सीमा के नक्शों का संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष नगरीय निकायों के GIS नक़्शे तैयार करने की कार्यवाही जारी है। अब तक, वन, स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त GIS डाटा को single repository में संधारित किया जा चुका है।

संधारित डाटा को उपयोगकर्ताओं से साझा करने के लिए वेब सर्विसेस का विकास कर उक्त पोर्टल में उपलब्ध कराया जा चुका है। इन वेब सर्विसेस के माध्यम से उपयोगकर्ता, मैप-आईटी में संधारित डाटा को अपने विभागीय वेब अथवा डेस्कटॉप आधारित एप्लीकेशन में सीधे उपयोग कर सकेंगे।

आईटी प्रशिक्षण केन्द्र - मध्यप्रदेश को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में प्रदेश के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर सुचारु कार्य करने में सक्षमता लाने की दृष्टि से ई-दक्ष कार्यक्रम संचालित है। ई-दक्ष परियोजना अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आईटी प्रशिक्षण केंद्र "ई-दक्ष केंद्र" स्थापित हैं। प्रदेश में संचालित ई-दक्ष केन्द्रों के माध्यम से अभी तक 80,000 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर/आईटी एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में दक्ष किया जा चुका है। अगले 5 साल में प्रदेश के 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी आईटी में दक्ष होंगे।

परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) - मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न परियोजनाओं का निर्धारित बजट एवं समय-सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन कर इन परियोजनाओं का लाभ समुचित समय पर नागरिकों को प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न विभागों में नवीन एवं वर्तमान में प्रचलित परियोजनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग, नीति निर्धारण तथा परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई कार्यरत हैं।

कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) - राज्य शासन के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों में डाटा एंट्री आपरेटर, आईटी आपरेटर, सहायक ग्रेड-3, शीघ्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य लिपिकीय स्तर के पदों पर संविदा/नियमित पदों के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) के द्वारा किया जाता है। अभी तक दो परीक्षा हो चुकी हैं।

● **राजेश पाण्डेय**
(लेखक जनसंपर्क विभाग में सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं।)

gy ‘, bKw Ed § ‘ ¶ ‘C moJ g ‘obZ 20
‘ ¶ Xoe ~ZoJm Xoe H$m A

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र, केन्द्रीय राज्यमंत्रीद्वय श्री गिरिराज सिंह एवं श्री हरीभाई पारथी भाई चौधरी ने उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया। मध्यप्रदेश में अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है साथ ही युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में केन्द्र की योजनाओं और प्रौद्योगिकी के सहयोग से लघु और सूक्ष्म उद्योगों को मदद मिलेगी। यह विचार केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने भोपाल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन-2016 में व्यक्त किये।

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनने की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। जब तक छोटे उद्योगों का विकास नहीं होगा देश का तेजी से विकास नहीं हो सकता। यह बात केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने भोपाल में कही।

श्री मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और स्टेण्ड अप इंडिया जैसी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने मध्यप्रदेश द्वारा सूक्ष्म एवं लघु दोनों के लिये अलग से विभाग गठित करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। श्री मिश्र एवं श्री चौहान ने मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप नीति का विमोचन किया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश अपनी स्वयं की स्टार्ट अप नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कई घोषणाएँ कीं। अब एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिये दी गई सुविधाएँ और सहायता को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में शामिल किया जायेगा। इससे पूँजी अनुदान, वेट प्रतिपूर्ति एवं प्रवेश कर छूट संबंधी कार्रवाई एक माह की समय-सीमा में पूरी करनी होगी। इसके अलावा अन्य अनुमतियों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा। उन्होंने

यह भी घोषणा की कि एमएसएमई इकाइयों को दी गई भूमि के क्षेत्रफल एवं मूल्य में दी जा रही छूट के स्लेब में परिवर्तन कर भूमि के मूल्य पर अधिकतम छूट बढ़ाकर 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की जायेगी।

श्री कलराज मिश्र ने पूरे विश्व में मध्यप्रदेश द्वारा सर्वाधिक कृषि विकास दर हासिल करने के लिये मुख्यमंत्री की तारीफ की। केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्यमियों के लिये स्थापित किये गये 12 टूल रूम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से देश में 15 नये टेक्नालॉजी सेंटर शुरू किये जायेंगे। इनमें से एक भोपाल के अचारपुरा में 125 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगा। इसमें प्रति वर्ष 8000 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये शहर में 25 प्रतिशत और गाँव में 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। मध्यप्रदेश के लिये 160 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रकार मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने टेक्नालॉजी सेंटर का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के शक्तिशाली नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें मध्यप्रदेश पूरी क्षमता से अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के साथ उद्योगों के विकास में ध्यान देते हुए लघु और सूक्ष्म उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है। लघु एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार निर्माण करने की क्षमता है। मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। युवाओं को अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग और पूँजी की सुविधाएँ देने के प्रावधान किये गये हैं। ऋण वापसी की गारंटी सरकार ने ली है और 15 प्रतिशत की सब्सिडी और ब्याज अनुदान देने जैसे प्रावधान भी किये गये हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि हर गाँव मे कम से कम एक कॉटेज इण्डस्ट्री स्थापित हो। अगले दो साल में केन्द्र और राज्य के सहयोग से 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थापित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिये जितनी घोषणाएँ की गई थीं वे सब पूरी हो गई हैं। अब एम.एस.एम.ई. सम्मेलन हर साल होगा ताकि समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाये। पैसों के अभाव में कोई भी प्रतिभाशाली उद्यमी पीछे नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को मार्गदर्शन एवं सहायता देने के लिये एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल का गठन किया जाएगा। इसके जरिए एमएसएमई इकाइयों को शासन की नीतिओं पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर मिलेगी। यह सेल एक जनवरी, 2017 से प्रारम्भ किया जाएगा। इस सेल में 20 कंसल्टेंट कार्य करेंगें। इन कंसल्टेंट को बड़े जिलों में पदस्थ करेंगे और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया जाएगा। एमएसएमई इकाइयों के प्रोत्साहन के लिये शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ एवं सहायताओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूँजी अनुदान, वेट प्रतिपूर्ति एवं प्रवेश कर छूट की कार्यवाही पूर्ण करने के लिये एक माह की समय-सीमा तय। इसके अलावा उद्योगों की आवश्यक अनुमतियों को भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा।

मध्यप्रदेश की स्टार्ट अप नीति के मुख्य बिन्दु

मध्यप्रदेश के भीतर स्टार्ट अप और नवाचार संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'प्लग एंड प्ले' के साथ इंक्यूबेशन सुविधा, प्रोत्साहन और अनुदान प्रदान करने बाबत पृथक से नीति बनायी गई है। राज्य में स्टार्ट अप प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इंक्यूबेटरों को आवर्ती खर्च हेतु संचालन सहायता, स्टाम्प शुल्क और फीस में छूट, सलाह आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। मध्यप्रदेश में स्टार्ट अप को प्रत्यक्ष

प्रदेश में एमएसएमई उद्यमियों को
स्टार्ट-अप से मिला आगे आने का अवसर

भोपाल में एमएसएमई सेमिनार में लगी प्रदर्शनी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने उद्योगों की स्थापना के दौरान आने वाली दिक्कतों और उससे मिली सफलताओं को भी प्रतिभागियों से साझा किया।

- सिवनी के श्री विजय नंदन ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से मिली मदद से सूक्ष्म उद्योग लगाया है। आज वे अपनी इकाई में हेवी बैटरी का निर्माण कर रहे हैं। उन्हें तकनीकी ज्ञान तो था, लेकिन पूँजी की कमी बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पता लगा तो उसके लिये आवेदन किया। मुख्यमंत्री की पहल पर उनका ऋण प्रकरण मंजूर हुआ। आज वे एक्सल्ड बैटरी बना रहे हैं। उनके उत्पाद को वहाँ काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। वे अपनी यूनिट को और बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वे करीब 200 लोगों को और रोजगार दिलवा सकें।
- मण्डीदीप के युवा उद्यमी श्री अमित यादव इक्विपमेंट बॉक्स बना रहे हैं। उन्होंने अपने उत्पाद को सेमिनार में लगी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। छोटी पूँजी से शुरू किये गये सूक्ष्म उद्योग को आगे बढ़ाने का सपना है। उनके उत्पाद सीडेक, डिफेंस सेक्टर, टैफे मोटर्स में जा रहे हैं।
- देवास के युवा उद्यमी श्री गिरीश मंगला, मंगला इंजीनियरिंग में पानी की मोटर तैयार कर रहे हैं। वे जाने-माने वेण्डर हैं। उनकी मोटर देश के अनेक राज्य में जा रही हैं। मोटर की गुणवत्ता के कारण उनकी अलग पहचान बनी है। उनकी मोटर किर्लोस्कर जैसी प्रख्यात कम्पनियाँ नियमित रूप से लेती हैं।
- इटारसी के युवा उद्यमी ने दिव्यांगों के लिये टू-व्हीलर में सपोर्ट सिस्टम लगाया है। दिव्यांगों के लिये यह सुरक्षित परिवहन का साधन है। टू-व्हीलर में 14 हजार की राशि से यह सपोर्ट सिस्टम लग जाता है। वे अपना व्यापार अन्य जिलों में भी फैलाना चाहते हैं। भोपाल गोविंदपुरा के लिंकेज उद्योग इकाई में एलईडी और पब्लिक इन्फार्मेशन सिस्टम बना रहे हैं।
- श्री विजय लोखंडे अपनी इकाई के विस्तार के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। इनका साल भर का टर्न-ओव्हर करोड़ रुपये के करीब है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के युवा उद्यमी स्टील सब-मर्सिबल पम्प बना रहे हैं। उनका यह उत्पाद मालवा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है।
- सुप्रीम इलेक्ट्रिकल फर्म स्टेबलाइजर, यूपीएस और इन्वर्टर बना रही है। साठ लाख रुपये के निवेश की श्री ऋषि गुप्ता की औद्योगिक इकाई में 20 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। उन्हें खुशी है कि वे अब नौकरी नहीं बल्कि खुद का काम कर रहे हैं।

समर्थन प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान, लीजरेण्ट अनुदान, मार्केटिंग सहायता और पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में चयनित स्टार्ट अप को राज्य शासन द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश वेंचर केपिटल फण्ड से पूँजी प्रदान की जाएगी।

सभी घोषणाएँ हुई पूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पूर्व के एम.एस.एम.ई. सम्मेलनों में की गई सभी घोषणाओं की पूर्ति शासन द्वारा कर ली गई है।

जी.आई.एस. 2012 एवं जी.आई.एस. 2014 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिये की गई जिन घोषणाओं की पूर्ति की जा चुकी है उनमें क्रेडिट गारंटी, वेण्डर डेव्हलपमेंट, स्व-रोजगार, भूमि आवंटन, टेक्सटाईल नीति, ब्याज अनुदान, रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट, स्व-प्रमाणीकरण, पिछड़े विकासखण्डों को प्राथमिकता, प्रदूषण संबंधी अनुमतियों का सरलीकरण, अपात्र उद्योगों की सूची में कटौत्री, लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन, सरलीकृत उद्योग आधार मेमोरण्डम, वेण्डर इन्सेन्टिव, हरित औद्योगीकरण पर अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई के लिये न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि का आरक्षण, वेन्चर केपिटल फण्ड की स्थापना, लघु उद्यमियों को व्यापार के लिये विदेश भ्रमण और लेण्ड बैंक की स्थापना आदि की सुविधाएँ शामिल हैं।

प्रदेश में बीस औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा रहा है अधोसंरचना विकास

प्रदेश के 4 एकेव्हीएन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में 2398 हेक्टेयर भूमि में 20 औद्योगिक क्षेत्रों में 1017 करोड़ रुपये के अधोसंरचना विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में एप्रोच रोड, बिजली, पानी और उद्योग से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। भोपाल एकेव्हीएन द्वारा प्लास्टिक पार्क तामोट जिला रायसेन में 50 हेक्टेयर में 80 करोड़ लागत के, कीरतपुर जिला होशंगाबाद में 83 हेक्टेयर में 27 करोड़ के, बाबई जिला होशंगाबाद में 640 हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ के, अचारपुरा और बगरोदा भोपाल जिले में 336 हेक्टेयर भूमि में 80 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी तरह इंदौर एकेव्हीएन द्वारा रेल्वाखुर्द जिला बड़वानी में 40 हेक्टेयर में 17 करोड़, झाबुआ जिले के कसारवार्डी में करीब 72 हेक्टेयर भूमि में 25 करोड़, उज्जैनी जिला धार में 76 हेक्टेयर में 35 करोड़ के, रूधि भावसिंगपुरा जिला खण्डवा में 148 हेक्टेयर में 40 करोड़ के, अपेरल फार्मा क्लस्टर जिला इंदौर में 45 हेक्टेयर में 25 करोड़ के, हातौद जिला धार के औद्योगिक क्षेत्र में 142 हेक्टेयर भूमि में 30 करोड और क्रिस्टल आईटी पार्क जिला इंदौर में 4 हेक्टेयर भूमि में 50 करोड़ के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

> **प्रदेश के 4 एकेव्हीएन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में 2398 हेक्टेयर भूमि में 20 औद्योगिक क्षेत्रों में 1017 करोड़ रुपये के अधोसंरचना विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में एप्रोच रोड, बिजली, पानी और उद्योग से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।**

ग्वालियर एकेव्हीएन द्वारा मुरैना जिले के पहाड़ी फेस-2 औद्योगिक क्षेत्र में 156 हेक्टेयर भूमि में 85 करोड़, फूड क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र बडोदी जिला शिवपुरी में 12 हेक्टेयर भूमि में 11 करोड़ 50 लाख, स्पाईस पार्क औद्योगिक क्षेत्र कुंभराज जिला गुना में 25 हेक्टेयर भूमि पर 25 करोड़ 50 लाख रुपये विकास कार्य पर खर्च किये जा रहे हैं। उज्जैन एकेव्हीएन में 4 औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना के कार्य करवाये जा रहे हैं। इनमें विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में 450 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा रही है। इस पर करीब 325 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। करमदी औद्योगिक क्षेत्र जिला रतलाम में 20 हेक्टेयर भूमि पर विकास के 22 करोड़, औद्योगिक क्षेत्र सिरसौदा जिला देवास में 52 भूमि हेक्टेयर भूमि में 24 करोड़ के और जिला उज्जैन के ताजपुर औद्योगिक क्षेत्र में 89 हेक्टेयर भूमि में उद्योग स्थापना से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर 40 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज

मुरैना जिले के मुरैना विकासखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक इकाई मयूर यूनिफोस्टर कंपनी जल्दी ही रुपये 200 करोड़ का कारोबार प्रारंभ करेगी। इसके साथ ही पिपरसेवा के नजदीक शनिचरा रोड पर नये उद्योग की स्थापना का 71 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।

समय सीमा में हो...
आवेदनों का निराकरण

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 4 अक्टूबर को कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत परिसर में आयोजित लोक कल्याण शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि वही सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है जो बिना स्वार्थ के कार्य करे। शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो और आवेदक को भी इसकी जानकारी मिले यही लोक कल्याण शिविर का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि आप लोगों के द्वारा दिये गए आवेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। साथ ही आपको इसकी सूचना भी दी जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मोती कश्यप भी उपस्थित थे।

- **लोक कल्याण शिविर में सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जाये।**
- **कटनी जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पन्द्रह लाख रुपये तक खेत-सड़क का कार्य किया जाये।**
- **जनपद पंचायत ढीमरपुरा में पंचायत भवन निर्माण के लिए पचास लाख रुपये स्वीकृत।**
- **ग्राम पंचायत सचिवों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति नियम बनाये जायेंगे।**
- **लोक कल्याण शिविर में छात्राओं को सायकिलों का वितरण।**
- **पच्चीस हितग्राहियों को संघ निर्माण कर्मकार मण्डल के पंजीयन पत्र सौंपे।**
- **हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदाय।**

मनरेगा के तहत कर सकते हैं खेत-सड़क के कार्य

लोक कल्याण शिविर में सरपंच-सचिवों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत खेत-सड़क योजना, मेड़ बंधान की मांग को देखते हुए मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि कटनी जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 लाख रुपये तक खेत-सड़क का कार्य करवायें। शीघ्र ही इसके आदेश सीईओ जिला पंचायत को भेज दिये जाएंगे। ग्राम पंचायतें खेत-सड़क का पहले एक कार्य प्रारम्भ करें। उसे पूर्ण करें, उसका पूर्णतः प्रमाणपत्र जारी करायें। इसके बाद वे खेत-सड़क का दूसरा कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि खेत-सड़क योजना व अन्य योजनायें बंद नहीं की गई हैं।

जनपद पंचायत भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये स्वीकृत

जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के परिसर में आयोजित लोक कल्याण शिविर में उपस्थित जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष द्वारा जनपद पंचायत के नवीन भवन निर्माण की मांग ग्रामीण विकास मंत्री से की गई। इस पर उन्होंने मंच से ही जनपद पंचायत के नवीन भवन के निर्माण हेतु 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होने कहा कि विभाग द्वारा जनपद पंचायत और जिला पंचायत के विकास कार्य के लिए राशि दी गई है इसके अलावा विकास कार्यों पर खर्च करने

H$mo gmB©{H$bm| H$m {H$

लोक कल्याण शिविर में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 40 छात्राओं को "स्कूल चलें हम" अभियान के अंतर्गत साईकिलें वितरित कीं, वहीं 25 हितग्राहियों को संघ निर्माण कर्मकार मण्डल के पंजीयन पत्र सौंपे। उन्होंने 4 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण सहायता का लाभ भी प्रदान किया।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा काउंटर लगाए गए थे इनमें हितग्राहियों द्वारा आवेदन किया गया जिनका निराकरण विभागों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष साधना चौरसिया, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर, जिला पंचायत सदस्य प्रगति राय, पूजा ठाकुर, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, कलेक्टर विशेष गढ़पाले, सीईओ जिला पंचायत डॉ. के.डी. त्रिपाठी, एसडीएम ढीमरखेड़ा, सीईओ जनपद ढीमरखेड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

● **अर्चना शर्मा**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

हेतु जनपद पंचायत के अध्यक्षों को 20 लाख रुपये और उपाध्यक्षों को 10 लाख रुपये की और राशि दी जायेगी।

ग्राम पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नियम जल्द बनेंगे

लोक कल्याण शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मैं यहाँ जो कह रहा हूँ वह अक्षरशः करूंगा भी। मंच पर ग्राम पंचायत घाना के पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रियेश शुक्ला की पत्नी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई। मंत्री श्री भार्गव ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने मंच से घोषणा की कि शीघ्र ही ग्राम पंचायत सचिवों के लिए भी अनुकंपा नियुक्ति नियम बनाए जाएंगे। उन्होने स्वर्गीय पंचायत सचिव की धर्म पत्नी को स्वैच्छिक स्थिति में 1 लाख 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये।

क्षेत्र को दी विकास की सौगातें

लोक कल्याण शिविर में ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सभी आवेदनों का त्वरित निराकरण किया। इस अवसर पर उन्होने ढीमरखेड़ा क्षेत्र को विकास की अनेक सौगातें दीं।

- मंत्री श्री भार्गव ने बरही से खामा तक की 3 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 70 लाख रुपये की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया जाएगा।
- पौंडी से मुड़वारी मार्ग के लिए भी 50 लाख रुपये की स्वीकृति देने की बात कही।
- ग्राम पंचायत कटरिया में पंचायत भवन के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत किए।
- पौंडी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किये।
- ग्राम पंचायत खंदवारा में पंचायत भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत किये।
- ग्राम पिंडरई में सीसी रोड निर्माण के लिये 5 लाख रुपये स्वीकृत किये।
- सिघनपुरी में प्राथमिक शाला में बाउंड्रीवाल निर्माण के निर्देश दिये।
- बिछिया निवासी छेदीलाल साहू को पात्रता होने पर प्रधानमंत्री आवास के निर्देश दिये।
- लोक कल्याण शिविर में संबंधित तकनीकी अधिकारी को सिलोडी में सीसी रोड का प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये।
- ग्राम हरदी, खमरिया, खमतरा, बिछुआ, घुघरी, मुड़वारी, दशरमन, कटरिया, अटरिया, बिछुआ, ईटोली में सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री ने की।
- जनपद पंचयत अध्यक्ष ढीमरखेड़ा की मांग पर कटरिया, टोला, भमका, बिछिया और उमरियापान में सामुदायिक भवन निर्माण के लिये 10-10 लाख रुपये प्रदाय करने की बात कही।
- आमाझाला के आदिवासी मोहल्ले में सीसी रोड निर्माण के निर्देश दिये।
- समग्र स्वच्छता के लिए स्वप्रेरित होकर कार्य करने का आग्रह किया।

● **संदीप श्रीवास्तव**
(लेखक कटनी जिले में मीडिया अधिकारी हैं।)

पात्र हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

कटनी जिले के बड़वारा में सामुदायिक भवन में लोक कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव शामिल हुए। उन्होंने लोक कल्याण शिविर में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया। लोक कल्याण शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि कटनी जिले में रोजगार गारंटी योजना के अंर्तगत अच्छे कार्य हुए हैं। यह हमारा वादा है कि जिले में रोजगार गारंटी योजना के बेहतर संचालन में किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने बड़वारा विकास खण्ड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण के लिये 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

शिविर में मंत्री श्री भार्गव ने सरपंचों की समस्याएं सुनते हुए उनका निराकरण किया। उन्होंने कहा कि जो कार्य आपको कराने हैं और उनका प्राक्कलन तैयार होना है, वह शीघ्र ही तकनीकी अधिकारी से प्राक्कलन तैयार करा लें। क्षेत्र में विकास के लिये किसी भी स्तर पर मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। कार्यक्रम में

जानकारी देते हुए मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरे प्रदेश में वृहद स्तर में कार्य हुए हैं। द्वितीय चरण में शेष सड़कों को डामरीकृत व गिट्टीकृत किया जायेगा ताकि गाँव की तस्वीर बदल सके।

शिविर में क्षेत्रीय विधायक श्री मोती कश्यप, मुड़वारा विधायक श्री संदीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता पटैल, कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ध्रुव प्रताप सिंह, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री अशोक विश्वकर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष कटनी श्री कन्हैया तिवारी और सीईओ जिला पंचायत डॉ. के.डी. त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित थे।

● **रीमा राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

आजीविका मिशन के नवाचार

बैंक सखी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप उसके नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रदेशों द्वारा अपनाया जा रहा है। बैंक सखी योजना को विगत दिनों नई दिल्ली में कार्यशाला में प्रेजेन्टेशन के दौरान सराहना मिली और अन्य प्रदेशों में भी अपनाये जाने की सिफारिश की गयी। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद में राज्य-स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में भी इस योजना की सराहना की गयी।

मिशन द्वारा प्रदेश में महिलाओं को संगठित कर प्रशिक्षण एवं समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये हैं। इसकी प्रशंसा शहडोल भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी की गयी।

बैंक सखी योजना में गाँव की शिक्षित महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया के लिये अधिकृत किया गया है। गाँव-गाँव जाकर बैंक में खाते खुलवाने का काम किया गया। इसके लिये उन्हें बैंक से कमीशन भी दिया गया। जब बैंक सखी का काम ठीक लगा तो बैंकों ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देना भी शुरू कर दिया। अब प्रदेश में लगभग 500 बैंकिंग कॉरेस्पान्डेन्ट्स ग्रामीण महिलाओं के रूप में तैनात करने की तैयारी आजीविका मिशन द्वारा की जा रही है। बड़वानी, राजगढ़ और अलीराजपुर में 158 गाँव के समूह-सदस्यों को बैंकों की भाग-दौड़ से मुक्ति दिलवाने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पान्डेन्ट्स की तैनाती की गयी है। इससे वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी तथा महिलाओं की आजीविका में प्रगति होगी।

प्रदेश में आजीविका मिशन की शुरुआत अप्रैल, 2012 में की गयी थी। मिशन द्वारा ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं के सशक्त स्व-सहायता समूह बनाकर उनका संस्थागत विकास तथा आजीविका के अवसर मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है।

अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए
मध्यप्रदेश को 'इन्सेंटिव अवॉर्ड'

मध्यप्रदेश को विगत दिनों राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया गया। प्रदेश को यह सम्मान अमृत योजना के क्रियान्वयन और संपादन में बेहतर काम करने के लिए दिया गया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 'इंडो-सेन-2016' वर्कशाप में प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह को अमृत योजना के इन्सेंटिव अवॉर्ड के रूप में 33 करोड़ 45 लाख रुपये का अनुदान शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दिया। इस वर्कशाप का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

कार्यक्रम में प्रदेश के 2 जिलों हरदा और इंदौर को स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिये पुरस्कृत किया गया। इंदौर कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने और हरदा कलेक्टर श्री श्रीकांत बानोठ ने पुरस्कार प्राप्त किया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिये यह खुशी का दोहरा अवसर है। एक तो हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राथमिकता वाली स्कीम को हम प्रदेश में बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं। दूसरी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया और प्रधानमंत्री ने हमें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केन्द्र की हर विकास योजना को अमल में लाने के लिये न केवल प्रतिबद्ध है बल्कि जमीनी और क्रियान्वयन के हर स्तर पर मॉनीटरिंग के लिये भी सजग है।

एक लाख से अधिक आबादी के 34 शहरों में लागू 'अमृत' योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहा है। इन शहरों के लिये बनायी गयी समग्र योजना की स्वीकृति एवं सम्पादन में प्रदेश देश में पहले नम्बर पर है। भारत सरकार ने प्रदेश की समग्र योजना के लिये 8279.4 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में प्रदेश में अमृत में 20 योजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनकी लागत 1435.82 करोड़ है। ग्यारह योजना, जिनकी लागत 1425.15 करोड़ है, उनके टेण्डर की कार्यवाही चल रही है। अमृत योजना के दो घटक, जल-आवर्धन और सीवेज-प्रबंधन हैं। इनमें जल-आवर्धन की 17 स्वीकृत योजना में से 14 पर काम शुरू हो गया है, जिनकी लागत 560.24 करोड़ रुपये है। सीवेज-प्रबंधन की 13 स्वीकृत योजनाओं में से 875.58 करोड़ की 6 योजना पर काम शुरू हो चुका है।

अमृत योजना में मध्यप्रदेश के 34 शहर को मिलाकर कुल 237.35 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर प्रदेश को इन्सेंटिव अवॉर्ड मिला है। भारत सरकार ने अपने सर्वे में अमृत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्धारित गाइड-लाइन के अनुसार हुए कार्यों का व्यापक सर्वे प्रदेश में किया था। सर्वे के प्रमुख बिन्दु थे- ई-गवर्नेंस, कांस्टीट्यूशन एण्ड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल केडर, ऑगमेंटिंग डबल एन्ट्री एकाउंटिंग, अर्बन प्लानिंग एंड सिटी डेव्हलपमेंट प्लॉन, डिवाल्यूशन ऑफ फण्ड्स एण्ड फंक्शन, रिव्यू ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, म्यूनिसिपल टैक्स एण्ड फीस इम्प्रूवमेंट, कलेक्शन ऑफ यूजर चार्ज और एनर्जी एण्ड वॉटर ऑडिट।

अमृत योजना प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर, खण्डवा, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, खरगोन, नीमच, पीथमपुर, दमोह, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, सिवनी, दतिया, नागदा, डबरा और ओंकारेश्वर शहर में क्रियान्वित की जा रही है।

आगामी दो वर्षों में
कोई भी गाँव नहीं रहेगा सड़कविहीन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल के जयसिंह नगर में हितग्राही सम्मेलन में कहा है कि वर्ष 2018 तक कोई भी गाँव सड़कविहीन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि हर गरीब को भू-खण्ड और आवास बनाने की सुविधा मुहैया करवायी जायेगी। शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर सरकार भूमि क्रय कर आवास बनाने के लिये भू-खण्ड देगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहडोल संभाग में जितना विकास हुआ है, उतना अन्य क्षेत्र में नहीं। विकास के क्रम में शहडोल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना के काम किये गये। उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये डीएपी एवं यूरिया खाद के दाम कम किये गये हैं। सिंचाई के संसाधन बढ़ाये गये हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना से 23 लाख बेटियों को जोड़ा गया है। इसके लिये सरकार ने 7,900 करोड़ रुपये बैंकों में जमा किये हैं। इन बेटियों को 27 हजार 600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जयसिंह नगर पंचायत के 25 करोड़ रुपये के विभिन्न कामों का शिलान्यास किया। इसमें मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिये 9 करोड़ 96 लाख 16 हजार, प्रधानमंत्री आवास योजना में 200 हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिये 12 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। श्री चौहान ने जयसिंह नगर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करवाने, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तरीय करने, महाविद्यालय परिसर में क्रिकेट का टर्फ पिच एवं बेडमिंटन हॉल बनाने, बस-स्टेण्ड का विस्तार करने, अधिवक्ता संघ को पुस्तकालय के लिये 5 लाख दिलवाने के साथ हाईकोर्ट से चर्चा के बाद एडीजे कोर्ट भवन की स्थापना, विभिन्न विद्यालय का उन्नयन, जयसिंह नगर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, रोजगार के संसाधन बढ़ाने और सिंचाई सुविधा बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती प्रमिला सिंह की अन्य विभिन्न माँग को क्रमशः पूरा करने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राही सम्मेलन में 258 कृषकों को 9 लाख 68 हजार 700 रुपये के कृषि यंत्रों का वितरण किया। इसमें ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, स्प्रेयर पंप, उड़ावनी पंखा एवं स्वाईल हेल्थ-कार्ड शामिल हैं। हितग्राही दीपाली, देवकी यादव और आंचल को साइकिल, दसोदिया साहू, सिलपिया, सुशीला जायसवाल और कौशल्या नामदेव को गैस कनेक्शन, लाखन सिंह, कपिल देव, दिलीप, झुरुरू बैगा और लल्ली सिंह को भू-खण्ड धारक प्रमाण-पत्र, ललुआ कोल, राम प्रसाद, मंगलदीन, नानबाई और रामलखन को वनाधिकार हक-पत्र, रामलखन साहू को बीपीएल राशन-कार्ड, सुनीता को राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य हितग्राहियों को प्रतीक-स्वरूप हित-लाभ वितरित किये। इससे हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे।

चौदहवें वित्त आयोग अन्तर्गत परफॉरमेंस ग्रांट के वितरण के लिए नीति निर्धारण

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को उनके कामकाज के निष्पादन के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा पंचायतों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले परफॉरमेंस ग्रांट के वितरण हेतु नीति निर्धारित की है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है -

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्र. 882/1092/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 10/11 अगस्त 2016**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत मध्यप्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय - 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्रान्ट) के वितरण हेतु नीति निर्धारित करने के संबंध में।

14वें वित्त आयोग अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतों जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसाल कार्य निष्पादन करेंगी, उनके लिए पृथक से निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्रान्ट) की पात्रता होगी। इस निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्रान्ट) के वितरण हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है -

1. भूमिका

1.1 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान को दो भागों, मूल अनुदान तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) में विभाजित किया है। 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये परफॉरमेंस ग्रांट की राशि कुल अनुदान का लगभग 10 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश को मिलने वाले परफॉरमेंस ग्रांट की राशि आगामी वर्षों के लिये निम्नानुसार होगी -

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
परफॉरमेंस ग्रांट	-	265.84	300.83	341.63	447.34

- 14वें वित्त आयोग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि स्थानीय स्वशासन के संस्थान के रूप में प्रभावी कार्य करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय निकाय अपने आय के स्रोतों को बढ़ावें। अतः परफॉरमेंस ग्रांट के प्रावधानों के पीछे निम्न लक्ष्य निहित हैं -

1. लेखा परीक्षित लेखा के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना; तथा
2. ग्रामीण स्थानीय निकायों की स्वयं की आय में सुधार करना।

a. 14वें वित्त आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि राज्य शासन उनके द्वारा सुझाई गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए परफॉरमेंस ग्रांट के वितरण हेतु मापदण्ड तैयार करें। जिसने अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा उक्त के साथ निम्न प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गयी हैं :-

i. **ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सेवाओं का सुधार :** ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रहण का चिन्हीकरण एवं प्रोत्साहन

ii. **ग्रामीण प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण अधोसंरचना का वित्त पोषण -** ग्राम पंचायत के लिये वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय साधनों का विस्तार।

b. पंचायतों को परफॉरमेंस ग्रांट की राशि के वितरण एवं उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

2. उद्देश्य -

2.1 ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे विभिन्न करारोपण का चिन्हीकरण करना एवं उनके वित्तीय आंकड़ों का समुचित ढंग से संकलन करना।

2.2 ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के विस्तार, स्वयं की आय के साधन बढ़ाने, करारोपण, तथा निरन्तर वसूली हेतु प्रोत्साहित करना।

2.3 ग्राम पंचायतों के आय-व्यय लेखों को अधिक पारदर्शी बनाना तथा जन-सामान्य को उसकी जानकारी देना।

2.4 ग्राम पंचायतों को वित्तीय अनुशासन हेतु प्रेरित करने के लिये समुचित वित्तीय प्रबंधन वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहित करना।

3. मापदण्ड तथा लक्ष्य समूह

3.1 परफॉरमेंस ग्रांट दो भागों में दिया जावेगा। लेखा कार्य अनुदान तथा राजस्व वृद्धि अनुदान, ग्राम पंचायतों को प्रत्येक के लिये पृथक-पृथक निर्धारित शर्तों की पूर्ति करना होगी।

3.2 ग्राम पंचायतों को परफॉरमेंस ग्रांट की राशि का हकदार बनने के लिये उन्हें अपने अभिलेखों के संधारण को विशेष तौर पर लेखा एवं व्हाउचर्स संधारण को अनिवार्यतः पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं आनुषंगिक संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप संधारित करना होगा तथा पंचायत दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करना होगा।

3.3 **लेखा कार्य अनुदान -** लेखा कार्य के लिये अनुदान उन सभी पंचायतों को दिया जावेगा जिनके द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति कर ली गई हो :-

i. आधार वर्ष के अंकेक्षित लेखे मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम 10 में निर्धारित प्रारूपों में निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किए गए हों।

ii. आधार वर्ष के लेखों में पंचायत के राजस्व में विगत वर्ष से वृद्धि की गई हो।

iii. ग्राम पंचायत के ऊपर आधार वर्ष में कोई अनियमितता प्रमाणित न हो।

iv. सम्परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा मध्यप्रेदश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम 11 में किसी गबन या आर्थिक अनियमितता प्रतिवेदित नहीं की हो।

v. आधार वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट की समस्त ऑडिट आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो।

3.4 प्रत्येक वर्ष परफॉरमेंस ग्रांट प्राप्त करने हेतु निम्न वर्षों के लेखा आधार रहेंगे :-

राशि प्रदाय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लेखा आधार वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18

3.5 राजस्व वृद्धि अनुदान - राजस्व वृद्धि के लिए परफॉरमेंस ग्रांट प्रत्येक जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों के द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर दिया जाएगा -

- लेखा कार्य अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र।
- आधार वर्ष की आय (जिसमें योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुदान तथा उस पर अर्जित ब्याज राशि सम्मिलित नहीं है) उससे पूर्व वर्ष की आय से कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्राप्त की हो।
- ग्राम पंचायत के द्वारा अधिरोपित अनिवार्य करों की कम से कम 70 प्रतिशत वसूली की गई हो।
- कुल कर प्राप्तियाँ (Tax receipts) राशि में, विगत वर्ष की कर प्राप्तियों (Tax receipts) राशि से अधिक हों।

ऐसी चयनित ग्राम पंचायतें जिनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम 60 अंक प्राप्त किये गये हों।

3.6 किसी भी ग्राम पंचायत में विगत तीन वर्षों में यदि अनियमितता सिद्ध पायी गई हो तो वह ग्राम पंचायत राजस्व वृद्धि के लिये परफॉरमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगी।

3.7 ग्राम पंचायतें अगले वर्ष के लेखा अथवा राजस्व वृद्धि के अनुदान के लिये तभी पात्र होगी जब वे राजस्व वृद्धि अनुदान का उपयोग प्रदर्शित करेंगी। साथ ही उस उपयोग से होने वाली आय के ब्यौरे को भी बताएगी।

3.8 यदि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व वृद्धि अनुदान का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह ग्राम पंचायत आगामी वर्ष में परफॉरमेंस ग्रांट के दोनों घटकों लेखा अनुदान तथा राजस्व वृद्धि अनुदान से वंचित हो जाएगी।

4. **अंकों की गणना तथा पात्रता राशि का निर्धारण -**

4.1 लेखा कार्य निष्पादन अनुदान कंडिका 3.3 की पूर्ति करने वाली सभी ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। यह राशि प्रत्येक पात्र ग्राम पंचायत हेतु

बराबर होगी। प्रथम वर्ष में यह राशि प्रति पात्र ग्राम पंचायत रुपये 60,000 होगी, इसके उपरान्त प्रतिवर्ष राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, इस राशि का निर्धारण करेंगे।

4.2 **राजस्व वृद्धि** कार्य निष्पादन अनुदान अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पृथक राशि प्राप्त होगी अतः प्रदाय की जाने वाले राशि का निर्धारण प्रतिवर्ष राज्य शासन के अनुमोदन से आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के द्वारा किया जाएगा।

4.3 **राजस्व वृद्धि कार्य निष्पादन अनुदान -** यह अनुदान तीन श्रेणियों में दिया जावेगा इन श्रेणियों को निम्नानुसार सुशासन की श्रेणियों में विभाजित किया जावेगा -

क्रमांक	श्रेणी	प्राप्तांक	पात्रता राशि
01	सुशासन-I	90 से अधिक	राजस्व वृद्धि अनुदान के लिये उस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि का 30 प्रतिशत
02	सुशासन-II	80 से 90 तक	राजस्व वृद्धि अनुदान के लिए उस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि का 35 प्रतिशत
03	सुशासन-III	60 से 80 तक	राजस्व वृद्धि अनुदान के लिये उस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि का 35 प्रतिशत

- श्रेणीकरण के उक्त सूत्र को, उपलब्ध राशि तथा पात्र ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुसार आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय के द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से परिवर्तित किया जा सकेगा।

4.4 **राजस्व वृद्धि** कार्य निष्पादन प्रतिवर्ष केवल कण्डिका 4.3 में उल्लिखित अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को देय होगा, अंकों का निर्धारण निम्न मापदण्ड पर किया जावेगा -

क्र.	आधार	उप आधार	अंक
01 अ	अनिवार्य करारोपण	अनिवार्य करारोपण की 70 से 85 प्रतिशत वसूली	15
		अनिवार्य करारोपण की 85 से अधिक वसूली	25
01 ब	आय के साधन सृजित करना	म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा उसके अंतर्गत ऐच्छिक करों की वसूली में 50 प्रतिशत या अधिक की वसूली	10
		कुल आय के साधन में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि	10
		जिन ग्राम पंचायतों की राजस्व आय रु. 1.00 लाख या उससे अधिक है	05
02	पंचायतों द्वारा किया गया व्यय	मूल अनुदान का 80 प्रतिशत से अधिक व्यय	05
		समय-सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया हो	05
		अन्य योजना में 70 प्रतिशत से अधिक का व्यय	05
03	सामाजिक अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण किया गया हो	05
04	राज्य की सर्वाधिक प्राथमिकता वाले कार्यक्रम	ग्राम पंचायत के पूर्णतः खुले में शौचमुक्त घोषित होने पर अन्य वह योजना जो राज्य शासन द्वारा इस मापदण्ड के अधीन सूचित की गई हो।	15
05	पंचायत राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	न्यूनतम 04 ग्राम सभाओं का आयोजन तथा कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने पर	05
06	ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं की पहल	ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की प्रेरणा से मानव एवं सामाजिक विकास को लक्षित करते हुए निर्धारित किये गये कार्य। इस संबंध में ग्राम पंचायत को आधार वर्ष के प्रारंभ में संबंधित मानव एवं सामाजिक विकास की गतिविधि की ग्राम पंचायत में स्थिति तथा आधार वर्ष की समाप्ति पर उस विषय पर प्राप्त उपलब्धि को प्रमाणित करना होगा।	10

5. प्रक्रिया :

5.1 मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129 (1) में दिये गये मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम 10 में निर्देशित प्रारूप में संपरीक्षक अधिनियम की धारा के अनुसार प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट से लेखा परीक्षा करवाएगी तथा निर्धारित समय सीमा में इसे पंचायत दर्पण पोर्टल में अपलोड करने के साथ-साथ साफ्टवेयर में मूल आंकड़ों की प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगी। ऑडिट रिपोर्ट में अधिनियम की मूल धारा अनुसार विवरण होना चाहिए। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम (ग्राम पंचायत लेखा परीक्षण नियम) के अनुसार।

5.2 संपरीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष जिला पंचायत चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का एक पैनल तैयार कर उन्हें ग्राम पंचायतें आवंटित करेगी। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के द्वारा किसी भी संपरीक्षक को 20 से अधिक ग्राम पंचायतों का संपरीक्षा कार्य नहीं दिया जावे अर्थात 20 ग्राम पंचायतों की संपरीक्षा करने का दायित्व एक संपरीक्षक का होगा। चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के लिये यह अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा संपरीक्षा कार्य हेतु नियत संपरीक्षक आवंटित ग्राम पंचायत में ही उपस्थित होकर ऑडिट कार्य संपादित करे।

5.3 चार्टर्ड एकाउंटेण्ट फर्म तथा उसके द्वारा इस कार्य हेतु नियत संपरीक्षक ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे। आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय राज्य शासन के अनुमोदन से ऑडिट प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे।

5.4 ग्राम पंचायतें परिशिष्ट-2 के अनुसार लेखा कार्य अनुदान के लिए आवेदन करेंगी। इसके लिए वे जानकारी परिशिष्ट-2 में तैयार कर नियत समयावधि में जनपद पंचायत में प्रस्तुत करेंगी तथा पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधानों में अनिवार्यतः इसकी प्रविष्टी करेंगी, पंचायत दर्पण पर की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही पात्रता तथा अंकों की गणना की जावेगी। जनपद पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के लिये एक कर्मचारी को निर्देशित किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके सहपत्रों सहित आवेदन की पावती देनी होगी।

5.5 लेखा कार्य निष्पादन अनुदान कंडिका 4.1 की पूर्ति करने वाली सभी ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऐसी सभी पंचायतों की जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इन सभी पंचायतों को लेखा कार्य एवं अंकेक्षण हेतु आयुक्त, पंचायत राज संचानालय लेखा कार्य अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जारी करेंगे।

5.6 राजस्व वृद्धि के निष्पादन अनुदान के लिए पंचायतों को कंडिका 3.4 के मापदण्ड पूरे करने होंगे। इसके लिए वे जानकारी परिशिष्ट-3 में तैयार कर नियत समयावधि में जनपद पंचायत में प्रस्तुत करेंगी तथा पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधानों में अनिवार्यतः इसकी प्रविष्टी करेंगी। पंचायत दर्पण पोर्टल पर की प्रविष्टियों के आधार पर ही पात्रता तथा अंकों की गणना की जावेगी। जनपद पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्त करने के लिये एक कर्मचारी को निर्देशित किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को उसके सहपत्रों सहित आवेदन की पावती देनी होगी।

5.7 चूँकि परफॉरमेंस ग्रांट अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पृथक राशि प्राप्त होगी तथा यह भी संभव है कि सुशासन की श्रेणीवार ग्राम पंचायतों की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो अतः प्रति वर्ष आकलन कर श्रेणीवार प्रदत्त की जाने वाली राशि के प्रतिशत में आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय के द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से परिवर्तन किया जा सकेगा।

5.8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों से प्राप्त परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 में प्राप्त जानकारी के आधार पर कंडिका 3.3, कंडिका 3.5 एवं कंडिका 4.4 के मापदण्डों के अनुसार एक विचार सूची तैयार करेंगे। इस विचार सूची में आने वाली पंचायतों के नाम पर कंडिका 3.6 अनियमितता सिद्ध पायी जाने तथ्य की पुष्टि करेंगे। यदि ऐसी कोई पंचायत पाई जाती है तो उसके नाम को विचार सूची से हटा दिया जायेगा।

5.9 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत स्तर पर गठित समिति के द्वारा परीक्षण करके सूची को अंतिम रूप दिया जावेगा। समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत - अध्यक्ष
- खण्ड पंचायत अधिकारी - सदस्य सचिव
- चार्टर्ड एकाउंटेंट का जनपद स्तरीय प्रतिनिधि - सदस्य
- खण्ड समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन - सदस्य
- सहायक यंत्री, जनपद पंचायत - सदस्य

5.10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उक्त समिति के सहयोग से विचार सूची तैयार करेंगे तथा जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष इसे केवल सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे। इस सूची को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इस सूची के प्राप्त होने पर समीक्षा करेंगे कि कंडिका 4.4 अनुसार अंक प्रदान किये गये हैं अथवा नहीं तथा कंडिका 3.3 एवं कंडिका 3.5 का पालन किया गया है। मुख्य कार्यपालन

अधिकारी यह सूची प्रमाणित कर राशि जारी करने हेतु आयुक्त पंचायत राज संचानालय को प्रेषित करेंगे। यह कार्यवाही पंचायत दर्पण पोर्टल पर निहित प्रावधानों में ऑनलाइन भी संपादित करनी होगी।

5.11 **आपत्तियों का निराकरण -** चयनित ग्राम पंचायत के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिया जा सकेगा तथा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।

6. कार्य निष्पादन अनुदान का उपयोग -

6.1 ग्राम पंचायतों को प्रदत्त लेखा कार्य निष्पादन अनुदान निम्न प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सकेगा -

- ग्राम पंचायतों में अंश-कालिक लेखाकर्मी को फीस देने हेतु।
- सी.ए. द्वारा वार्षिक ऑडिट करने हेतु विनिर्धारित संपरीक्षा शुल्क का भुगतान।
- ई-अकाउन्टिंग की प्रक्रिया में लगने वाले व्यय हेतु।

6.2 ग्राम पंचायतों को राजस्व वृद्धि हेतु प्रदत्त अनुदान निम्न प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सकेगा :-

- ग्राम पंचायतों में ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण जिससे पंचायतें राजस्व की वृद्धि कर सकें जैसे - हाट बाजार, किराये पर दिये जा सकने वाले भवन यथा मण्डप, सामुदायिक भवन, दुकान, सराय आदि।
- अन्य ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण जिसे प्रतिवर्ष नीलामी पर दिया जा सके जैसे मछली पालन हेतु तालाब निर्माण, फलोद्यान, ऐसे नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतों का निर्माण जिसे बेचकर पंचायत आय अर्जित कर सके आदि।

6.2 ग्राम पंचायतों को प्रदत्त परफॉरमेंस ग्रांट से किये जाने वाले कार्यों के लिए प्रचलित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं मध्यप्रदेश पंचायत भंडार क्रय नियम तथा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया/नियम प्रभावी होंगे।

7. लेखांकन तथा लेखा परीक्षण -

7.1 परफॉरमेंस ग्रांट की प्रदत्त राशि ग्राम पंचायत निधि का भाग होगी जिसका लेखांकन अनिवार्य होगा तथा महालेखाकार, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा इसका उपाय समय-समय पर ऑडिट किया जावेगा।

7.2 प्रदत्त राशि का उपयोग पंचायत दर्पण पोर्टल पर वर्णित प्रावधानों/उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा तथा उसका नियत समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7.3 प्रदायित राशि के दुरुपयोग की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

8. समय सीमा एवं उत्तरदायित्व -

8.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 की परफॉरमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये समय सीमा एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे -

क्र.	अपेक्षित कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समय सीमा
1	जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों के ऑडिट की पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के लिये समय सारिणी का निर्धारण।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सितम्बर 2016 के अंतिम सप्ताह तक
2	ग्राम पंचायत की बैठक में 2014-15 के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना।	ग्राम पंचायत सचिव	सितम्बर 2016 के अंतिम सप्ताह तक
3	2014-15 के वार्षिक लेखों को पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना तथा वार्षिक लेखों के मुख्य आंकड़ों की प्रविष्टि करना।	ग्राम पंचायत सचिव	अक्टूबर 2016 के अंतिम सप्ताह तक
4	परिशिष्ट-2 अनुसार लेखा कार्य अनुदान हेतु तथा परिशिष्ट-3 अनुसार राजस्व वृद्धि के लिये कार्य निष्पादन अनुदान के लिये पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रशिष्टि करना तथा जनपद पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करना।	ग्राम पंचायत सचिव	नवम्बर 2016 के अंतिम सप्ताह तक
5	परफॉरमेंस ग्रांट के दोनों घटकों 1. लेखा कार्य निष्पादन अनुदान तथा 2. राजस्व वृद्धि निष्पादन अनुदान के लिये विचार सूची तैयार करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	दिसम्बर 2016 के अंतिम सप्ताह तक
6	परफॉरमेंस ग्रांट के दोनों घटकों 1. लेखा कार्य निष्पादन अनुदान तथा 2. राजस्व वृद्धि निष्पादन अनुदान के लिये विचार सूची की पुष्टि करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	जनफरी 2017 के अंतिम सप्ताह तक
7	राज्य शासन द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राजस्व वृद्धि श्रेणी की राशि की सीमा का निर्धारण करना।	आयुक्त पंचायत राज संचालनालय	माह फरवरी 2017 के द्वितीय सप्ताह तक

8	पात्र ग्राम पंचायतों के खातों में उक्त दोनों घटकों की राशि भेजना	आयुक्त पंचायत राज संचालनालय	माह फरवरी 2017 के अंतिम सप्ताह तक

8.2 वर्ष 2017-18 से परफॉरमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये समय सीमा एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे -

क्र.	अपेक्षित कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समय सीमा
1	निर्देशों की कण्डिका 5.2 अनुसार आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय द्वारा वार्षिक ऑडिट की प्रक्रिया, संपरीक्षकों के चयन विधि आदि के निर्देश जारी करने से लेकर ग्राम पंचायत की बैठकों में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर आपत्तियों के निराकरण करने संबंधी समस्त गतिविधियाँ संपादित करना इस संबंध में विस्तृत समय सारिणी आयुक्त पंचायतराज संचालनालय द्वारा माह मार्च के प्रथम सप्ताह में निर्देशों के साथ जारी की जावेगी।	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं जनपद पंचायत सचिव ग्राम पंचायत	01 मार्च से 15 अगस्त के मध्य
2	परफॉरमेंस ग्रांट की कार्यवाही निर्देश एवं समय-सारिणी संबंधी पत्र जारी करना।	आयुक्त पंचायत राज संचालनालय	माह अगस्त
3	परिशिष्ट-2 अनुसार लेखा कार्य अनुदान हेतु तथा परिशिष्ट-3 अनुसार राजस्व वृद्धि के लिये कार्य निष्पादन अनुदान के लिये पंचायत दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना तथा जनपद पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करना।	ग्राम पंचायत सचिव	माह सितम्बर से अक्टूबर
4	परफॉरमेंस ग्रांट के दोनों घटकों 1. लेखा कार्य निष्पादन अनुदान तथा 2. राजस्व वृद्धि निष्पादन अनुदान के लिये विचार सूची तैयार करना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	माह नवंबर
5	परफॉरमेंस ग्रांट के दोनों घटकों 1. लेखा कार्य निष्पादन अनुदान तथा 2. राजस्व वृद्धि निष्पादन अनुदान के लिये विचार सूची की पुष्टि करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा	माह दिसम्बर
6	राज्य शासन द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक राजस्व वृद्धि श्रेणी की राशि की सीमा का निर्धारण करना	आयुक्त पंचायत राज संचालनालय	माह जनवरी
7	पात्र ग्राम पंचायतों के खातों में उक्त दोनों घटकों की राशि भेजना।	आयुक्त पंचायत राज संचालनालय	माह फरवरी

8.3 उक्त तालिका क्रमांक 8.2 के प्रथम बिन्दु के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों के ऑडिट संबंधी कार्यवाही संपादित करने के लिये समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व -

क्र.	अपेक्षित कार्यवाही	उत्तरदायित्व	समय-सीमा
1	वार्षिक ऑडिट की प्रक्रिया, संपरीक्षकों के चयन विधि आदि के निर्देश जारी करना।	संचालक पंचायत राज संचालनालय	माह मार्च
2	जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों के ऑडिट की समय-सारिणी तैयार करना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	माह मार्च
3	ग्राम पंचायतों द्वारा ऑडिट हेतु सभी आवश्यक जानकारी जुटाना	सचिव ग्राम पंचायत एवं लेखाकर्मी	माह अप्रैल
4	पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण तथा ऑडिट रिपोर्ट सौंपना	अंकेक्षक	माह मई एवं जून
5	ग्राम पंचायत की बैठक में वार्षिक लेखों को प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना	ग्राम पंचायत सचिव	माह जून
6	वार्षिक लेखों को पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना तथा वार्षिक लेखों के मुख्य आंकड़ों को निर्धारित साफ्टवेयर में प्रविष्ट करना	अंकेक्षक	माह जुलाई
7	ऑडिट आपत्ति निराकरण की ग्राम पंचायतों को सूचना एवं समीक्षा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	माह जुलाई
8	ऑडिट रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन ग्राम पंचायतों में रखना	ग्राम पंचायत सचिव	15 अगस्त

जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। निर्देश प्राप्त होते ही जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिवों की बैठक आयोजित कर उन्हें निर्देशों से अवगत कराया जाकर अपेक्षित

कार्यवाही संपादित करने हेतु निर्देशित करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का समाधान आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय के द्वारा किया जावेगा।

(ब्रजेश कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

लेखा कार्य निष्पादन अनुदान माँग हेतु आवेदन प्रारूप-परिशिष्ट-दो

ग्राम पंचायत का नाम : **आवेदन वर्ष .....** **आधार वर्ष .....**
जनपद पंचायत :
जिला पंचायत :

क्रमांक	आवेदन वर्ष	लेखा आधार वर्ष	क्या आधार वर्ष के अंकेक्षित लेखे निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किये गये हैं	कॉलम 4 में निर्धारित प्रारूप में दी गयी लेखा संबंधी जानकारी को पंचायत दर्पण पोर्टल में निर्धारित समय-सीमा में अपलोड किया गया है	लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं अन्य लेखा पुस्तिकाओं के आधार वर्ष में पंचायत अपने राजस्व में विगत वर्ष से वृद्धि की हो (हां/नहीं)	यदि हां तो किये गए वृद्धि का प्रतिशत	ग्राम पंचायत के ऊपर आधार वर्ष कोई अनियमितता प्रमाणित है (हाँ/नहीं)	क्या ऑडिटर द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी गबन या आर्थिक अनियमितता को इंगित किया है	क्या ग्राम पंचायत द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में इंगित आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट :

* कॉलम 4 में उल्लेखित अंकेक्षित लेखे मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम 10 में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि हाँ तो आगे की प्रविष्टियाँ लागू होंगी अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।

** यदि कॉलम 8 में जानकारी हाँ होता है तो आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा।

*** कॉलम 9 में उल्लेखित अंकेक्षित लेखे मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के नियम 11 के अंतर्गत उल्लिखित गबन या आर्थिक अनियमितता के उल्लेख को मान्य किया जावेगा।

**** कॉलम क्रमांक 10 में आपत्तियों के निराकरण हेतु तैयार पालन एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

***** यदि उपरोक्त दर्शित किसी भी कॉलम की जानकारी निर्धारित शर्तों/मापदण्डों के अनुरूप नहीं होती है ऐसे दशा में संबंधित ग्राम पंचायत का आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा, जिसके लिए पृथक से सूचना देने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं होंगी।

****** उपरोक्त प्रपत्र/कॉलम में दिए गए के प्रमाणीकरण/पुष्टि/सहायक दस्तावेज/अभिलेख इत्यादि का यथा आवश्यकतानुसार निर्धारित परिशिष्ट में स्व-सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त किया जावेगा।

******* उपरोक्त वर्णित शर्तें/मापदण्ड कार्य निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्रांट) प्राप्त करने हेतु आधारभूत पात्रता है, किसी भी पंचायत को अनुदान की दावेदारी करते समय उपरोक्त शर्तों को पूर्ण रूपेण किया जाना होगा तभी वह पंचायत अगले चरण के लिये पात्र माने जायेंगे अन्यथा की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत को अपात्र मानते हुये कार्य निष्पादन की दावेदारी हेतु किया गया आवेदन स्वतः निरस्त मान लिया जावेगा।

एतद् द्वारा हम यह प्रमाणित करते हैं कि चौदहवें वित्त आयेग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कार्य निष्पादन अनुदान अंतर्गत लेखा कार्य निष्पादन राशि के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निहित सशर्तों के अधीन हम ग्राम पंचायत..... की दावेदारी प्रस्तुत कर

रहे हैं और हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण सत्य एवं सही है। यदि किसी भी समय हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अनुचित/गलत या झूठी पायी जाती है, तो ऐसी दशा में हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या विधि द्वारा निर्धारित कार्यवाही करने का अधिकार शासन को होगा तथा उसके लिये हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

दिनांक .....

स्थान .....

(नाम एवं हस्ता./-)	**(नाम एवं हस्ता./-)**
मुद्रा सहित	**मुद्रा सहित**
सचिव	**सरपंच**
ग्राम पंचायत	**ग्राम पंचायत .....**
जनपद पंचायत	**जनपद पंचायत .....**
जिला पंचायत	**जिला पंचायत .....**

कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप परिशिष्ट-तीन

ग्राम पंचायत का नाम :

आवेदन वर्ष .....

आधार वर्ष .....

क्र.	**आधार**	**विवरण**	**निर्धारित लक्ष्य**	**प्राप्त उपलब्धि**	**उपलब्धि का प्रतिशत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1 अ	**अनिवार्य करारोपण**	संपत्ति कर	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		प्रकाश कर	कुल अधिरोपित राशि	वसूली की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर	कुल अधिरोपित राशि	वसूली की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		उन व्यक्तियों पर फीस जो ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या स्थान या उसमें के किसी भवन या संरचना में विक्रय के लिये माल रखते हैं। ग्राम पंचायत के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार या किसी स्थान में बेचे गये पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		निजी सण्डासों पर कर	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अन्य	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अन्य	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
			कुल अधिरोपित राशि	**कुल वसूल की गयी राशि**	**कुल वसूली का प्रतिशत**
1 ब	**आय के साधन सृजित करना**	**वैकल्पिक कर तथा फीस आदि**			
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 1	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 2	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 3	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 4	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 5	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 6	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत
		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 7	कुल अधिरोपित राशि	वसूल की गयी राशि	वसूली का प्रतिशत

		अधिरोपित वैकल्पिक कर/फीस 8	कुल अधिरोपित राशि **कुल अधिरोपित राशि**	वसूल की गयी राशि **कुल वसूल की गयी राशि**	वसूली का प्रतिशत **कुल वसूली का प्रतिशत**
		कुल आय में वृद्धि	**आधार वर्ष के पूर्व के वर्ष में ग्राम पंचायत की स्वयं की आय**	**आधार वर्ष में ग्राम पंचायत की स्वयं की आय**	**आय वृद्धि का प्रतिशत**
2	**ग्राम पंचायत द्वारा किया गया व्यय**	14वें वित्त आयोग मूल अनुदान	आधार वर्ष में प्राप्त मूल अनुदान की राशि	आधार वर्ष में व्यय मूल अनुदान की राशि	व्यय का प्रतिशत
		उक्त से पृथक योजनाओं में अनुदान	आधार वर्ष में ग्राम पंचायत को अन्य योजनाओं में प्राप्त कुल राशि	आधार वर्ष में ग्राम पंचायत को अन्य योजनाओं में प्राप्त राशि में से व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
3	**सामाजिक अंकेक्षण**	ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित होने की तिथि	क्या सामाजिक अंकेक्षण का कार्यवाही विवरण तैयार हुआ	सामाजिक अंकेक्षण में इंगित आपत्तियों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण में इंगित आपत्तियों में से निराक्रत आपत्तियों की संख्या
4	**राज्य की सर्वाधिक प्राथमिकता वाले कार्यक्रम**	ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त घोषित तथा प्रमाणित होना	क्या ग्राम पंचायत खुले में शौचमुक्त घोषित एवं प्रमाणित है	ग्राम पंचायत को प्रमाणित रूप से खुले में शौचमुक्त घोषित होने का दिनांक	
	पंचायत राज व्यवस्था का सुदृढ़ करना	**ग्राम सभाओं का आयोजन**			
		ग्राम सभा आयोजन दिनांक	उपस्थित महिलाओं की संख्या .... उपस्थित पुरुषों की संख्या .... कुल उपस्थित नागरिकों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम सभा आयोजन दिनांक	उपस्थित महिलाओं की संख्या .... उपस्थित पुरुषों की संख्या ...... कुल उपस्थित नागरिकों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम सभा आयोजन दिनांक	उपस्थित महिलाओं की संख्या .... उपस्थित पुरुषों की संख्या .... कुल उपस्थित नागरिकों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम सभा आयोजन दिनांक	उपस्थित महिलाओं की संख्या .... उपस्थित पुरुषों की संख्या ...... कुल उपस्थित नागरिकों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन			
		ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक	
		ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल	

		पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक
ग्राम पंचायत बैठक दिनांक	बैठक में उपस्थित पंचों की संख्या	कार्यवाही विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने का दिनांक

एतद् द्वारा हम यह प्रमाणित करते हैं कि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली परफॉरमेंस ग्रांट के अनुदान में से राजस्व वृद्धि कार्य निष्पादन अनुदान राशि के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निहित सशर्तों के अधीन हम ग्राम पंचायत .... की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण सत्य एवं सही है। यदि किसी भी समय हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अनुचित/गलत या झूठी पायी जाती है, तो ऐसी दशा में हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या विधि द्वारा निर्धारित कार्यवाही करने का अधिकार शासन को होगा तता उसके लिये हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

दिनांक ....

स्थान ....

(नाम एवं हस्ता./-)
मुद्रा सहित
सचिव
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला पंचायत ....

(नाम एवं हस्ता./-)
मुद्रा सहित
सरपंच
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत ....
जिला पंचायत ....

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता और निःशक्तजनों के कल्याण के लिए उन्हें प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। राज्य शासन द्वारा इन समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दरों और मापदण्डों में परिवर्तन किया गया है। अब हितग्राहियों को 150 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 300 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। इस संबंध में राज्य शासन के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी परिपत्र को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
आदेश

क्रमांक एफ 2-87/2016/26-2 **भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2016**

मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है -

1. म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-87/2010/26-2, दिनांक 25.06.2013 से जारी किये गये निर्देशों की कंडिका-7 के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 150/- प्रतिमाह की दर से दी जाने वाली पेंशन दरों को पुनरीक्षित करते हुये रुपये 300/- प्रतिमाह की जाती है। यह पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।

2. म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2-87/2010/26-2, दिनांक 25.06.2013 में दिये गये पात्रता के मापदण्ड में कंडिका क्रमांक 1.1 से 1.3 तक यथावत रखते हुये निम्नांकित कंडिकाएं जोड़ी जाती हैं -

1.4 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं को दी जाने वाली पेंशन अब 'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि' के नाम से दी जावेगी।

1.5 18 से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है। (अर्थात 18 से 59 वर्ष आयु के 40% से अधिक किन्तु 80% से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।)

1.6 वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।

3. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत अंतःवासियों को पेंशन की राशि उसी नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा स्वीकृत की जाएगी जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रम संचालित हैं और वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों। वृद्धाश्रमों में निवासरत अंतःवासियों का पंजीयन संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा किये जाने के उपरांत ही संबंधित निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी तथा तद्उपरांत संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रचलित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आदेश/परिपत्र क्रमांक एफ 2-87/2010/26-2, दिनांक 25.06.2013 में अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

27/9/16

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि बढ़कर हुई 300 रुपये

भारत सरकार द्वारा 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में राज्य शासन भी राज्यांश 100 रुपये मिलायेगी। अब हितग्राहियों को 200 रुपये के स्थान पर 300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस संबंध में मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

आदेश

क्रमांक एफ 2-87/2016/26-2 **भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2016**

मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जो पात्रता के मापदण्डों में अर्थात 60 से 79 वर्ष आयु के हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा रुपये 200/- की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन की ओर से रुपये 100/- का राज्यांश सम्मिलित करते हुये पेंशन भुगतान किया जाये। अर्थात् अब भुगतान योग्य पेंशन राशि रुपये 300/- प्रतिमाह होगी।

2. पेंशन की पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।

3. म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक 541/26-2/2013, दिनांक 25.04.2013 से जारी किये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

संपादक जी,

जल प्रबंधन अंक को पढ़ा। मध्यप्रदेश में इस साल बाढ़ और अतिवृष्टि का प्रकोप काफी रहा। बाढ़ का मुख्य कारण जल निकास की समुचित व्यवस्था न होना है। शहरों में नालों पर अतिक्रमण होने से बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। ऐसे में जरूरी है कि शहरों के विकास के साथ-साथ पानी के निकास की समुचित व्यवस्था भी की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कटाव रोकने के लिए खेतों के किनारे अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाएं। जल प्रबंधन अंक में गयी जानकारी निश्चित ही उपयोगी होगी।

- सुरेन्द्र राजपूत
ग्राम- नूर नगर, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के सितम्बर अंक में जल प्रबंधन विषय की जानकारी को समाहित किया गया है। प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि का फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई उन फसलों का उत्पादन करें जिसमें अधिक पानी की जरूरत होती है। इसकी विस्तृत जानकारी को फसल सुरक्षा प्रबंधन संबंधी आलेखों में बेहतर ढंग से बताया गया है।

- पर्व गिरदोनिया
मुकाम पोस्ट बरहटा, तह. गोटेगांव,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि पर केन्द्रित अंक पढ़ा। अंक में प्रदेश बाढ़ की स्थिति और राज्य शासन के द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई है। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रभावी कार्य किए गए हैं। सरकार के साथ-साथ आमजन का भी दायित्व बनता है कि ऐसे कठिन समय में हम शासन और प्रशासन का सहयोग करें।

- प्रशांत तिवारी
बरेली जिला, रायसेन (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश सहित लगभग पूरे देश ने बाढ़ की विभीषिका का सामना किया। बाढ़ के समय सबसे जरूरी होता है आपदा प्रबंधन का कार्य। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है जिसके चलते बाढ़, भूकंप और तूफान के मौत के मुँह में समा जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आपदा प्रबंधन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रकाशित करें ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और आपदा की स्थिति में इसका लाभ ले सकें।

- अमितेश नेमा
टीला जमालपुरा, भोपाल (म.प्र.)